लोक सभा में 28 फरवरी, 2007
को पुरःस्थापित रूप में

2007 का विधेयक संख्यांक 22

[दि फाइनेंस बिल, 2007 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2007

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2007 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 84 तक 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

1961 का 43

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय एक लाख रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पैंतीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचासी हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटाकर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, या अनुषंगी फायदों के संबंध में, जो धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, यथास्थिति, जहां कुल आय या अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां ऐसी आय अथवा ऐसी कुल आय जिसका संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां ऐसी आय या ऐसी कुल आय जिसका संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय जिसका संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां ऐसी संगृहीत राशि या संगृहीत कुल राशि और, ऐसे संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां ऐसी आय या ऐसी कुल आय जिसका संग्रहण किया गया है और ऐसे संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां ऐसी आय या ऐसी कुल आय जिसका संग्रहण किया गया है, और ऐसे संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है या संदाय किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख या धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कम्पनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगीः

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदों के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 115ब के खंड (क) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय एक लाख दस हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख दस हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख दस हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसी प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक लाख दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पैंतालीस हजार रुपए" शब्द रखे गए थे :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "एक लाख दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचानवे हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर या "अग्रिम कर" में से रिबेट घटाकर, इस प्रकार प्राप्त आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में, प्रत्येक दशा में उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'(1ग) "अपर आयुक्त" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(1घ) "अपर निदेशक" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;';

(ख) खंड (7क) में,—

(i) "सुसंगत अधिकारिता निहित है और ऐसा" शब्दों के पश्चात्, ", अपर आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए "अपर आयुक्त या" शब्दों के पश्चात्, "अपर निदेशक या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1996 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ग) खंड (9क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1988 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(9ख) "सहायक निदेशक" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;';

(घ) खंड (14) के उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ii) वैयक्तिक चीज बस्त, अर्थात् ऐसी जंगम संपत्ति (जिसके अंतर्गत पहनने के कपड़े और फर्नीचर हैं), जो निर्धारिती या उस पर आश्रित उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा वैयक्तिक उपयोग के लिए धारित है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) आभूषण ;

(ख) पुरातत्वीय संकलन ;

(ग) रेखाचित्र ;

(घ) रंगचित्र ;

(ङ) मूर्तियां ; या

(च) कोई अन्य कलाकृति ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "आभूषण" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या ऐसी एक या अधिक बहुमूल्य धातुओं को अंतर्विष्ट करने वाली मिश्रातु से बने आभूषण, चाहे उनमें रत्न या उपरत्न हों या नहीं और चाहे किसी पहनने के कपडों में लगाए गए हों या सिले गए हों या नहीं ;

(ख) रत्न या उपरत्न, चाहे किसी फर्नीचर, बर्तन या अन्य वस्तु में जड़े गए हों या नहीं या किसी पहनने के कपडों में लगाए गए हों या सिले गए हों या नहीं ;';

(ङ) खंड (24) के उपखंड (xiii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xiv) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दिष्ट कोई राशि ;';

(च) खंड (25क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 25 अगस्त, 1976 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'(25क) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है ;' ।

1976 का 80

4. आय-कर अधिनियम की धारा 7 के खंड (iii) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे । धारा 7 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 1976 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 9 का संशोधन।

"स्पष्टीकरण —शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां आय उपधारा (1) के खंड (v), खंड (vi) और खंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है वहां ऐसी आय अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी चाहे अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध हो अथवा नहीं ।"।

6. आय कर अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(क) खंड (10खख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(10खग) किसी व्यष्टि या उसके विधिक वारिस को किसी आपदा के संबंध में प्रतिकर के रूप में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त या प्राप्य कोई राशि, उस सीमा तक, उस प्राप्त या प्राप्य राशि को छोड़कर, जिस तक ऐसे व्यष्टि या उसके विधिक वारिस को ऐसी आपदा से हुई हानि या नुकसान के कारण इस अधिनियम के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है ।

2005 का 53

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आपदा" पद का वही अर्थ है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में है ;';

(ख) खंड (15),—

(क) उपखंड (iv) की मद (चक) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

1955 का 23
1959 का 38
1970 का 5
1980 का 40
1934 का 2

'**स्पष्टीकरण**—इस मद के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" पद से, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक या ऐसा कोई अन्य बैंक अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है, किंतु इसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक नहीं है ;';

(ख) उपखंड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(vii) ऐसे बंधपत्रों पर ब्याज जो—

(क) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य पूलकृत वित्त एकक द्वारा जारी किए गए हैं ; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

स्पष्टीकरण— इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "राज्य पूलकृत वित्त एकक" पद से ऐसा एकक अभिप्रेत है जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पूलकृत वित्त विकास स्कीम के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किया जाता है ।';

(ग) खंड (23खखघ) में, "1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत सात पूर्ववर्षों के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत दस पूर्ववर्षों के लिए" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (23खखच) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(23खखछ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की कोई आय ;" । 2003 का 36

(ङ) खंड (23ग) में, 1 जून, 2007 से,—

(अ) उपखंड (iv) में, "जिसे केन्द्रीय सरकार उस निधि या संस्था के उद्देश्यों को और समस्त भारत में या किसी समस्त राज्य या राज्यों में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचित करे" शब्दों के स्थान पर, "जिसे विहित प्राधिकारी उस निधि या संस्था के उद्देश्यों को और समस्त भारत में या किसी समस्त राज्य या राज्यों में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (v) में, "जिसे केन्द्रीय सरकार उस रीति को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचित करे" शब्दों के स्थान पर, "जिसे विहित प्राधिकारी उस रीति को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि विहित प्राधिकारी, उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का अनुमोदन करने से पूर्व, यथास्थिति, निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था से ऐसे दस्तावेजों (जिनके अंतर्गत संपरीक्षित वार्षिक लेखा भी हैं) या जानकारी की मांग कर सकेगा जिन्हें वह, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और विहित प्राधिकारी ऐसी जांच भी कर सकेगा जिन्हें वह इस निमित्त आवश्यक समझे :";

(ई) नौवें परंतुक में, "उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन" शब्दों के स्थान पर "उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन" शब्द रखे जाएंगे ;

(उ) तेरहवें परन्तुक में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ऊ) पन्द्रहवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि ऐसे सभी लंबित आवेदन जिनके संबंध में, उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन कोई अधिसूचना 1 जून, 2007 से पूर्व जारी नहीं की गई है, उस तारीख को विहित प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगे और विहित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों पर, उन उपखंडों के अधीन उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वे उस तारीख को थे ;";

(च) खंड (23ङख) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(23ङग) भारत में वस्तु एक्सचेन्जों द्वारा या तो संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से स्थापित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की, वस्तु एक्सचेन्जों और उसके सदस्यों से अभिदाय के रूप में प्राप्त कोई आय, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु जहां कोई ऐसी रकम जो निधि में जमा है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं की गई है, किसी वस्तु एक्सचेन्ज के साथ पूर्णतः या भागतः बांटी जाती है, वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें ऐसी रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तदनुसार आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु एक्सचेन्ज" से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ञञ) में यथा परिभाषित "रजिस्ट्रीकृत संगम" अभिप्रेत है ;'; 1952 का 74

(छ) खंड (23चख) में 1 अप्रैल, 2008 से,—

(i) "विनिधान के लिए निधियां जुटाने के लिए स्थापित" शब्दों के स्थान पर, "विनिधान से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो —

(i) निम्नलिखित के कारबार,—

(अ) नैनो प्रौद्योगिकी ;

(आ) हार्डवेयर और साफ्टवेयर विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी ;

(इ) बीज अनुसंधान और विकास ;

(ई) जैव-प्रौद्योगिकी ;

(उ) भेषज सेक्टर में नए रासायनिक एककों का अनुसंधान और विकास ;

(ऊ) जैव ईंधन का उत्पादन ; या

(ए) तीन हजार से अधिक बैठने की न्यूनतम क्षमता वाले संयुक्त होटल एवं कन्वेंशन केन्द्र का निर्माण और प्रचालन करने ; या

(ii) दुग्ध या कुक्कुट उद्योग,

में लगी हुई है ;" ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 10 फरवरी, 2006 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:— धारा 10कक का संशोधन।

"(4) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो इकाई है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(i) इसने किसी विशेष आर्थिक जोन में 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना अथवा सेवाएं प्रदान करना आरंभ किया है या आरंभ करता है ;

(ii) यह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे उपक्रम, के संबंध में लागू नहीं होगी जो इकाई है, और जो निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है ;

(iii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।"।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12क में 1 जून, 2007 से,— धारा 12क का संशोधन।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"धारा 11 और 12 के लागू होने के लिए शर्तें ।";

(ख) विद्यमान धारा 12क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे ;";

(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में किया है और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;";

(ग) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू होंगे ।" ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक में 1 जून, 2007 से,— धारा 12कक का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (1) का खंड (कक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (1) का खंड (कक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 17 में,— धारा 17 का संशोधन।

(क) खंड (1) के उपखंड (viii) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) खंड (2) में,—

(अ) उपखंड (ii) के पश्चात्,—

(i) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि,—

(क) ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और,—

(i) आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के दस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के साढ़े सात प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(ii) नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां ऐसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, आवास का मूल्य जो संदत्त पट्टे के किराए की संदत्त वास्तविक रकम है या उसके द्वारा संदेय किराए की वास्तविक रकम है, या वेतन का दस प्रतिशत है, इनमें से जो भी कम हो, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(ख) ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है, वहां उस आवास की बाबत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार अवधारित अनुज्ञप्ति फीस, जो उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, फर्नीचर और फिक्सचरों का मूल्य जोड़कर निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए और निर्धारिती द्वारा फर्नीचर या फिक्सचरों के लिए संदत्त या संदेय प्रभारों के योग से अधिक है ;

(ग) ऐसे मामलों में, जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है, और—

(i) आवास नियोजक के स्वामित्व में है और खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन अवधारित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास निर्धारिती के पूर्ववर्ष के दौरान अधिभोग में है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(ii) नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां ऐसी अवधि की बाबत, खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन अवधारित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(घ) ऐसे मामले में जहां आवास नियोजक द्वारा किसी होटल में दिया जाता है, (सिवाय वहां के जहां निर्धारिती को ऐसा आवास उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर कुल पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए दिया जाता है), वहां पूर्ववर्ष के लिए संदत्त या संदेय वेतन के चौबीस प्रतिशत की दर पर अवधारित आवास का मूल्य या ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तविक प्रभार, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान आवास दिया जाता है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, फर्नीचर और फिक्सचर का मूल्य उक्त फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रीजरेटर, या अन्य घरेलू साधन, वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर या इसी प्रकार के अन्य साधन या जुगत हैं) या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया जाता है तो उसके लिए संदेय वास्तविक किराए के प्रभारों में से पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उसके लिए संदत्त या संदेय कोई प्रभार घटाकर लागत का दस प्रतिशत वार्षिक होगा।";

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2006 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और,—

(i) आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के बीस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के पन्द्रह प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(ii) नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां आवास का मूल्य, जो नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय पट्टे के किराए की वास्तविक रकम या वेतन का बीस प्रतिशत है, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;";

(आ) उपखंड (iii) के परंतुक का 1 अप्रैल, 2008 से लोप किया जाएगा ।

धारा 35 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (5) में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 36 का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ix) में, "चेक द्वारा संदत्त" शब्दों के स्थान पर, "नकद से भिन्न संदाय के किसी ढंग द्वारा संदत्त" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (viiक) में,—

(क) खंड (क) में, "या किसी अननुसूचित बैंक" शब्दों के पश्चात्, "प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अंत में, स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ii) में, "किंतु इसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(vi) "सहकारी बैंक" , "प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में हैं ;';

(इ) खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(viii) किसी विनिर्दिष्ट एकक द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षिति की बाबत कोई रकम, जो उस आरक्षित खाते को अग्रनीत "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के (इस खंड के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व) अधीन संगणित पात्र कारबार से व्युत्पन्न लाभों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है :

परंतु जहां उन रकमों का योग, जो ऐसे आरक्षित खाते को समय-समय पर अग्रनीत की जाती रही हों, विशेष एकक की, यथास्थिति, समादत्त पूंजी की दो गुनी रकम और साधारण आरक्षितियों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत इस खंड के अधीन कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड में,—

(क) "विनिर्दिष्ट एकक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

1956 का 1

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय निगम ;

(ii) कोई वित्तीय निगम, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ;

(iii) कोई बैंककारी कंपनी ;

(iv) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न सहकारी बैंक ;

(v) आवास वित्त कंपनी ; और

(vi) कोई अन्य वित्तीय निगम, जिसके अंतर्गत पब्लिक कंपनी भी है ;

(ख) "पात्र कारबार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) में वर्णित विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में भारत में औद्योगिक या कृषि विकास या अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार ;

(ii) खंड (क) के उपखंड (v) में वर्णित विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में भारत में आवास प्रयोजनों के लिए गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार ;

(iii) खंड (क) के उपखंड (vi) में वर्णित विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार ;

1949 का 10

(ग) "बैंककारी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है और इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में वर्णित कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है ;

(घ) "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और विकास बैंक" के वही अर्थ हैं जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में हैं ;

(ङ) "आवास वित्त कंपनी" से ऐसी पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है, जो आवास प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में विरचित या रजिस्ट्रीकृत है ;

1956 का 1

(च) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में है ;

(छ) "अवसंरचना सुविधा" से अभिप्रेत है,—

(i) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित कोई अवसंरचना सुविधा या इसी प्रकार की कोई अन्य पब्लिक सुविधा, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए और जो उन शर्तों को पूरा करती हो, जो विहित की जाएं ;

(ii) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) या खंड (vi) में निर्दिष्ट कोई उपक्रम; और

(iii) धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कोई उपक्रम ;

(ज) "दीर्घकालिक वित्त" से ऐसा कोई उधार या अग्रिम अभिप्रेत है, जहां वे निबंधन जिनके अधीन ऐसा धन उधार या अग्रिम दिया जाता है, पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के दौरान ब्याज सहित उसके प्रतिसंदाय के लिए उपबंध करते हैं ;';

(ई) खंड (x) का 1 अप्रैल, 2008 से लोप किया जाएगा ;

(उ) खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(xii) किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उपगत कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), यदि,—

(क) वह किसी केंद्रीय,राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित है ;

(ख) ऐसा निगम या निगमित निकाय, है जो उपखंड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ; और

(ग) उक्त व्यय उस अधिनियम द्वारा, जिसके अधीन वह गठित या स्थापित किया जाता है, प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपगत किया जाता है ;";

(ऊ) खंड (xiii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xiv) किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा लघु उद्योगों के लिए ऐसे उधार गारंटी निधि न्यास को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम ।

1956 का 1

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में है ।'।

धारा 40क का संशोधन। **13.** आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2008 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3)(क) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत बीस हजार रुपए से अधिक की राशि का कोई संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) जहां किसी व्यय के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किसी दायित्व की बाबत किसी वर्ष के निर्धारण में अनुज्ञा दी गई है और तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वर्ष कहा गया है) निर्धारिती उसका संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक से या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से किए जाने के बजाय अन्य रीति में करता है वहां इस प्रकार किया गया संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे तथा तदनुसार, यदि संदाय की रकम बीस हजार रुपए से अधिक है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी:

परंतु जहां बीस हजार रुपए से अधिक का कोई संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी रीति में किया जाता है वहां ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के अधीन जो विहित की जाएं, उपलब्ध बैंककारी सुविधाओं की प्रकृति और सीमा तथा कारबार की समीचीनता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और कोई संदाय इस उपधारा के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ नहीं माना जाएगा।" ।

धारा 49 का संशोधन। **14.** आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2कक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"(2कख) जहां पूंजी अभिलाभ विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट साधारण शेयरों के अंतरण से उद्भूत होता है, जिनकी कीमत को धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना करते समय ध्यान में रखा गया है वहां ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के अर्जन की लागत उस खंड के अधीन मूल्य होगी ।"।

धारा 54डग का संशोधन। **15.** आय-कर अधिनियम की धारा 54डग में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परंतु किसी निर्धारिती द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हो ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2006 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2006 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विनिधान करने के लिए, "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो,—

(i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ; या 1988 का 68

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, 1956 का 1

1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2007 को या उससे पूर्व जारी किया गया है और इस धारा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में ऐसी शर्तों (जिनके अंतर्गत ऐसे बंधपत्रों में किसी निर्धारिती द्वारा विनिधान की रकम पर परिसीमा का उपबंध करने की शर्त भी है) के साथ, जिन्हें वह ठीक समझे, अधिसूचित किया गया है :';

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (ख) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, और 1 अप्रैल, 2006 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां कोई बंधपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व अधिसूचित किया गया है, वहां ऐसा बंधपत्र इस खंड के अधीन अधिसूचित किया गया बंधपत्र समझा जाएगा ।";

(iii) इस प्रकार अंतःस्थापित परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् कोई विनिधान करने के लिए, "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है ।'। 1988 का 68 1956 का 1

धारा 56 का संशोधन। **16.** आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (v) के परंतुक में, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2005 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से ; या

(च) धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या किसी न्यास अथवा संस्था से; या

(छ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से।" ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2008 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 72क का संशोधन।

"(1) जहां,—

(क) किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या किसी होटल की स्वामी किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से ; या

1949 का 10 (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी का किसी विनिर्दिष्ट बैंक से ; या

(ग) वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों का उसी प्रकार के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों से,

समामेलन हुआ है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, समामेलक कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन किया गया था, समामेलित कंपनी के आमेलित न किए गए अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक माने जाएंगे और अवक्षयण के लिए हानि या मोक के मुजरा और अग्रनयन से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80कग में, "धारा 80झग" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 80झघ" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 80कग का संशोधन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ में,— धारा 80गगघ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "केंद्रीय सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2008 से,— धारा 80घ का संशोधन।

(क) "उसके द्वारा चेक द्वारा संदत्त" शब्दों के स्थान पर, "उसके द्वारा नकद से भिन्न संदाय की किसी रीति से संदत्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (i) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ii) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) परंतुक में,—

(i) "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "पन्द्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ में, 1 अप्रैल, 2008 से,— धारा 80ङ का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, "जारी रखने के प्रयोजन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "या अपने नातेदार की उच्चतर शिक्षा के प्रयोजन के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) किसी व्यष्टि के संबंध में "नातेदार" से उस व्यष्टि की पत्नी या पति और बालक अभिप्रेत है ।" ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में,— धारा 80झक का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में, "आधुनिकीकरण करता है" शब्दों के पश्चात् "या बिछाता है और क्रास-कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का प्रचालन करना आरंभ करता है" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, "खंड (iv)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (iv) या खंड (vi)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, 1 अप्रैल, 2008 से,—

(अ) खंड (i) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में, "या अंतर्देशीय पत्तन" शब्दों के स्थान पर ", अंतर्देशीय पत्तन या समुद्र में नौ चालन चैनल" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (v) के उपखंड (ख) में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2008" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(vi) क्रास-कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क, जिसके अंतर्गत पाइप लाइनें और भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो ऐसे नेटवर्क का आंतरिक भाग है, बिछाने और प्रचालन के कारबार करने वाला कोई उपक्रम, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(क) वह भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के किसी संघ या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन है ;

2006 का 19 (ख) उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ;

(ग) उसकी कुल पाइपलाइन क्षमता का एक-तिहाई निर्धारिती या किसी सहयुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य, वाहन पर प्रयोग के लिए उपलब्ध है ;

(घ) उसने 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रचालन करना आरंभ किया है या करता है ; और

(ङ) कोई अन्य शर्त, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के संबंध में, किसी "सहयुक्त व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है—

(i) जो निर्धारिती के प्रबंध या नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से भाग लेता है ;

(ii) जो निर्धारिती में छब्बीस प्रतिशत से अन्यून मतदान की शक्ति वाले शेयरों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से धारित करता है ;

(iii) जो निर्धारिती के शासक बोर्ड के आधे से अधिक निदेशक बोर्ड या सदस्यों अथवा शासक बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशकों या कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करता है ; या

(iv) जो निर्धारिती के कुल उधारों के दस प्रतिशत से अन्यून की गारंटी देता है ;

(iv) उपधारा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(12क) उपधारा (12) की कोई बात ऐसे उद्यम या उपक्रम को लागू नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् समामेलन या विलयन की किसी स्कीम में अंतरित किया जाता है ।";

(v) उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, और 1 अप्रैल, 2000 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो, यथास्थिति, उपक्रम या उद्यम के साथ करार की गई संकर्म संविदा निष्पादित करता है ।"।

धारा 80झख का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख की उपधारा (4) के चौथे परंतुक में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 80झघ का अंतःस्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80झग के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों और कंवेंशन केन्द्रों के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती ।

'80झघ. (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के शत प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो—

(i) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है ; या

(ii) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित किसी कन्वेंशन केन्द्र के निर्माण, स्वामित्व या प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे कन्वेंशन केन्द्र का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी उपलब्ध होगी जब,—

(i) पात्र कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित करके या पुनर्गठित करके नहीं बना है ;

(ii) पात्र कारबार, यथास्थिति, होटल या कन्वेंशन केन्द्र के लिए पूर्व में प्रयुक्त भवन को नए कारबार में अंतरित करके नहीं बना है ;

(iii) पात्र कारबार किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण— धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ;

(iv) आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए जो विहित की जाए और किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित संपरीक्षा की रिपोर्ट, जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित है, यह प्रमाणित करते हुए देता है कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है ।

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10कक के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (8) से उपधारा (11) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र कारबार को लागू होंगे ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कन्वेंशन केन्द्र" से सम्मेलन और संगोष्ठियां कराने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने हेतु कन्वेंशन सभागारों वाला विहित क्षेत्र का भवन अभिप्रेत है, जिसका आकार और संख्या ऐसी है तथा जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं और सुख-सुविधाएं हैं जो विहित की जाएं ;

(ख) "होटल" से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा, तीन सितारा या चार सितारा प्रवर्ग का कोई होटल अभिप्रेत है ;

(ग) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से,—

(i) किसी होटल की दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें होटल कारबार कार्य आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(ii) किसी कन्वेंशन केन्द्र की दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें कन्वेंशन केन्द्र वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(घ) विनिर्दिष्ट क्षेत्र से, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले अभिप्रेत हैं ।"।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में, 1 जून, 2007 से,— धारा 92गक का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था किंतु उपधारा (3) के अधीन आदेश अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है या उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया जाता है, वहां उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश किसी भी समय उस तारीख से पूर्व साठ दिन की अवधि से पहले किया जा सकेगा जिसको, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना अथवा नए सिरे से निर्धारण करने के लिए, यथास्थिति, धारा 153 या धारा 153ख में निर्दिष्ट परिसीमा अवधि समाप्त होती है,";

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की गणना करने के लिए अग्रसर होगा ।"।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2008 से,— धारा 115ञख का संशोधन।

(क) खंड (च) में, "धारा 10क या धारा 10ख या" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) में, "धारा 10क या धारा 10ख या" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) में, "साढ़े बारह प्रतिशत की दर से" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत की दर से" शब्द रखे जाएंगे। धारा 115ण का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 115द का संशोधन।

"(i) किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरित आय पर, पच्चीस प्रतिशत ;

(ii) किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधियों से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत ; और

(iii) किसी अन्य व्यक्ति को, द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधियों से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर बीस प्रतिशत :"।

29. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12ङ में, धारा 115न के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— अध्याय 12ङ के स्पष्टीकरण का संशोधन।

'(घ) "द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि" से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के खंड (2) के उपखंड (त) में यथापरिभाषित द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि अभिप्रेत है ;

(ङ) "तरल निधि" से पारस्परिक निधि की ऐसी कोई स्कीम या योजना अभिप्रेत है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन उसके द्वारा इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तरल निधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।'। 1992 का 15

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115बख में 1 अप्रैल, 2008 से,— धारा 115बख का संशोधन।

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ग) में, "कोई अभिदाय" शब्दों के स्थान पर, "कोई अभिदाय ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(घ) कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिनके अंतर्गत पूर्व कर्मचारी भी हैं) मुफ्त या रियायती दर पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए गए स्वेट साधारण शेयर ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं तथा उनके अंतर्गत कर्मचारी स्टाक विकल्प भी है ; 1956 का 42

(ii) "स्वेट साधारण शेयरों" से किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को डिस्काउंट पर या नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य वर्धन, चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, की प्रकृति के अधिकारों के बारे में जानकारी देने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए साधारण शेयर अभिप्रेत हैं ।';

(आ) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (v) में "कलाकार नामपट्टों" शब्दों के स्थान पर, "कलाकार नामपट्टों, उत्पादों के प्रदर्शन" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(vii) जो नमूनों के वितरण पर या तो निःशुल्क या रियायती दर पर व्यय है ; और," ।

धारा 115बग का संशोधन।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115बग की उपधारा (1) में खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) कर्मचारी द्वारा विकल्प के प्रयोग की तारीख को धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में वर्णित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में प्रतिभूति या शेयरों की बाबत संदत्त या उससे वसूल की गई रकम को घटा दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "उचित बाजार मूल्य" से उस ढंग से अवधारित मूल्य अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाए ;' ।

धारा 115बञ का संशोधन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 115बञ की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 जून, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) वर्तमान आनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर निम्नलिखित द्वारा संदेय होगी—

(क) ऐसी सभी कंपनियां, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी है और प्रत्येक किस्त की नियत तारीख और ऐसी किस्त की रकम नीचे सारणी I में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी :

सारणी I

किस्त की नियत तारीख	संदेय रकम
15 जून को या उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत से अन्यून ।
15 सितंबर को या उससे पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर के पैंतालीस प्रतिशत से अन्यून ।
15 दिसंबर को या पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून ।
15 मार्च को या पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर की संपूर्ण रकम ;

(ख) सभी निर्धारिती (कंपनियों से भिन्न), जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान तीन किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी है और प्रत्येक किस्त की नियत तारीख और ऐसी किस्त की रकम नीचे सारणी II में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी :

सारणी II

किस्त की नियत तारीख	संदेय रकम
15 सितंबर को या उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के तीस प्रतिशत से अन्यून ।
15 दिसंबर को या उससे पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर के साठ प्रतिशत से अन्यून ।
15 मार्च को या उससे पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर की संपूर्ण रकम ।

(3) जहां कोई निर्धारिती किसी किस्त के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर नियत तारीख को संदेय रकम से कम है वहां वह उस रकम के, जिससे संदत्त अग्रिम कर प्रत्येक मास या ऐसे मास के भाग के लिए, नियत तारीख तक संदेय रकम से कम होता है, जिसके लिए कमी बनी रहती है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

धारा 120 का संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (4) के खंड (ख) में,—

(i) "शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन" शब्दों के पश्चात्, "अपर आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित, "अपर आयुक्त या" शब्दों के पश्चात्, "अपर निदेशक या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1996 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iii) "प्रतिनिर्देश को" शब्दों के पश्चात्, "अपर आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iv) इस प्रकार अंतःस्थापित, "अपर आयुक्त या" शब्दों के पश्चात्, "अपर निदेशक या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1996 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।"।

धारा 132ख का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख की उपधारा (4) के खंड (क) में, "छह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए आधा प्रतिशत" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 139 का संशोधन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9) के अंत में आए हुए परंतुक का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2006 से लोप किया गया माना जाएगा।

नई धारा 139ग और 139घ का अंतःस्थापन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 139ख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

विवरणी के साथ दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने से अभिमुक्ति देने की बोर्ड की शक्ति ।

" 139ग. (1) बोर्ड ऐसे वर्ग के या वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिनसे दस्तावेजों, विवरणों, रसीदों, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्टों या किन्हीं अन्य ऐसे दस्तावेजों को, जो धारा 139घ के सिवाय, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अन्यथा दिए जाने के लिए अपेक्षित हैं, विवरणी के साथ दिए जाने की अपेक्षा नहीं हो सकेगी, किंतु मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(2) धारा 139 की जैसी कि वह वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा लोप से ठीक पहले थी उपधारा (9) के परंतुक के अधीन बनाया गया कोई नियम, इस धारा के उपबंधों के अधीन बनाया गया समझा जाएगा ।

इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी का फाइल किया जाना ।

139घ. बोर्ड निम्नलिखित के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा—

(क) ऐसे वर्ग या वर्गों के व्यक्ति, जिनसे इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देने की अपेक्षा की जाएगी ;

(ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी दी जा सकेगी ;

(ग) ऐसे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या संपरीक्षित रिपोर्टें, जो इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी के साथ नहीं दी जा सकेंगी, किंतु मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी ;

(घ) ऐसा कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी को पारेषित किया जा सकेगा।"।

धारा 142 का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 142 में,—

(क) उपधारा (2क) में, निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को लेखा इस प्रकार संपरीक्षित कराने का तब तक निदेश नहीं देगा, जब तक कि निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।";

(ख) उपधारा (2घ) में, निम्निलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां उपधारा (2क) के अधीन संपरीक्षा के लिए कोई ऐसा निदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया जाता है, वहां किसी ऐसी संपरीक्षा के और उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है), मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे, जो विहित किए जाएं और इस प्रकार अवधारित व्ययों का केंद्रीय सरकार द्वारा संदाय किया जाएगा ।" ।

धारा 143 का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के उपखंड (ii) में "ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या अन्य संगम" शब्दों के पश्चात् "या निधि या न्यास" शब्द, 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 153 का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में, 1 जून, 2007 से,—

(क) उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि वह निर्धारण वर्ष, जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय थी, 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाला निर्धारण वर्ष है या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है और कुल आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

तो खंड (क) के उपबंध, पहले परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तैंतीस मास" शब्द रखे गए हों ।";

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां धारा 148 के अधीन सूचना, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् तामील की गई थी और कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना के लिए कार्यवाहियों के दौरान, धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस मास" शब्द रखे गए हों ।";

(ग) उपधारा (2क) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां धारा 254 के अधीन आदेश, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्, आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है और कुल आय के नए सिरे से निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश ऐसी तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस मास" शब्द रखे गए हों ।"।

धारा 153ख का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

वहां इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध, दूसरे परंतुक के खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगें, मानो "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तैंतीस मास" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि उस दशा में जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि, दूसरे परंतुक के खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, अंत से तैंतीस मास की अवधि या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखाबहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से इक्कीस मास, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी ।"।

नई धारा 153घ का अंतःस्थापन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग में निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

तलाशी या अध्यपेक्षा के मामलों में निर्धारण के लिए पूर्व अनुमोदन का आवश्यक होना ।

"153घ. धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्धारण वर्ष या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश, संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से निम्न पंक्ति के निर्धारण अधिकारी द्वारा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही पारित किया जाएगा ।"।

धारा 172 का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"(4क) आय का निर्धारण करने वाला और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला कोई भी आदेश उपधारा (4) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अंत से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसमें उपधारा (3) के अधीन विवरणी दी जाती है :

परंतु जहां उपधारा (3) के अधीन विवरणी 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पूर्व दी गई है, वहां ऐसा आदेश 31 दिसंबर, 2008 से पूर्व किया जाएगा ।"।

धारा 193 का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक के खंड (iv) में निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परंतु इस खंड की कोई बात वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक के 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बांड, 2003 पर संदेय ब्याज को लागू नहीं होगी ;"।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) में, "पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होता है" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक, 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे, अर्थात् :— धारा 194क का संशोधन।

"निम्नलिखित से अधिक नहीं होता है—

1949 का 10

(क) दस हजार रुपए, जहां संदायकर्ता ऐसी बैंककारी कंपनी है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ;

(ख) दस हजार रुपए, जहां संदायकर्ता बैंककारी कारबार करने में लगी हुई सहकारी सोसाइटी है ; और

(ग) किसी अन्य दशा में पांच हजार रुपए :"।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 194ग का संशोधन।

"(1) किसी निवासी को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ठेकेदार कहा गया है), ठेकेदार और —

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार ; या

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी ; या

(ग) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम ; या

(घ) किसी कंपनी ; या

(ङ) किसी सहकारी सोसाइटी ; या

(च) निवास-स्थान की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के प्रयोजन के लिए या नगरों, कस्बों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए या दोनों के लिए, अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित किसी प्राधिकरण; या

1860 का 21

(छ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या उस अधिनियम के समान किसी विधि के अधीन, जो भारत के किसी भाग में प्रवृत्त है, रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी; या

(ज) किसी न्यास ; या

(झ) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय और

1956 का 3

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय घोषित की गई किसी संस्था ; या

(ञ) किसी फर्म ; या

(ट) किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसके द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा की जाती है या संदाय की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक है,

संविदा के अनुसरण में, कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) करने के लिए किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करने के समय या नकद या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करने के समय, इनमें से पहले जो भी हो, ऐसी राशि के—

(i) विज्ञापन की दशा में, एक प्रतिशत ;

(ii) किसी अन्य दशा में दो प्रतिशत,

के बराबर रकम उस राशि में समाविष्ट आय पर आय-कर के रूप में काटेगा :

परन्तु कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जहां ऐसी राशि ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के निजी प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से जमा या संदत्त की जाती है, वहां कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त राशि पर आय-कर की कटौती करने का दायी नहीं होगा ।"।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज में, 1 जून, 2007 से,— धारा 194ज का संशोधन।

(क) "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती, भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उसके पब्लिक काल आफिस के विशेष विक्रय अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संदेय किसी कमीशन या दलाली के संबंध में नहीं की जाएगी ।"।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे, अर्थात् : — धारा 194झ का संशोधन।

"(क) किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए दस प्रतिशत ;

(ख) जहां पाने वाला व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है वहां किसी भूमि या भवन (कारखाना भवन सहित) या भवन (कारखाना भवन सहित) से संलग्न भूमि या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए पन्द्रह प्रतिशत ;

(ग) जहां पाने वाला व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब से भिन्न व्यक्ति है वहां किसी भूमि या भवन (कारखाना भवन सहित) या भवन (कारखाना भवन सहित) से संलग्न भूमि या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए बीस प्रतिशत :"।

धारा 194ञ का संशोधन। **48.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) में, "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 197क का संशोधन। **49.** आय-कर अधिनियम की धारा 197क की उपधारा (1ग) में, "और धारा 88ख में निर्दिष्ट अपनी कुल आय पर आय-कर की रकम से कटौती के लिए हकदार है" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया गया समझा जाएगा।

धारा 201 का संशोधन। **50.** आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1क) में, "बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए एक प्रतिशत" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 206क का संशोधन। **51.** आय-कर अधिनियम की धारा 206क की उपधारा (1) में, "पांच हजार रुपए से अनधिक" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए से अनधिक, जहां संदायकर्ता कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है और किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपए से अनधिक" शब्द 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 206ग का संशोधन। **52.** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1ग) में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "खनन और खदान क्रिया" में खनिज तेल की खनन और खदान क्रिया सम्मिलित नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, "खनिज तेल" में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं ।' ।

धारा 245क का संशोधन। **53.** आय-कर अधिनियम की धारा 245क में, 1 जून, 2007 से,—

(क) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "मामला" से इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण की ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो :

परंतु ,—

(i) धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना की कोई कार्यवाही ;

(ii) धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही ;

(iii) धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही ;

(iv) धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में नया निर्धारण करने की कार्यवाही,

इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की कार्यवाही नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) परंतुक के खंड (i) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी, जिसको धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जाती है ;

(ii) परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए कार्यवाही धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की तारीख को प्रारंभ की गई समझी जाएगी ;

(iii) परंतुक के खंड (iv) में निर्दिष्ट नया निर्धारण करने के लिए कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी, जिसको धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने का आदेश पारित किया गया था ;

(iv) परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए कार्यवाही से भिन्न किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण की कार्यवाही निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ की गई समझी जाएगी;';

(ख) खंड (छ) में, "अभिप्रेत है" शब्दों के पश्चात् "और इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य है जो न्यायपीठ के सदस्यों में से ज्येष्ठतम है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 245ग का संशोधन। **54.** आय-कर अधिनियम की धारा 245ग में, 1 जून, 2007 से,—

(i) उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक,—

(i) आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम तीन लाख रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ii) ऐसे कर और उस पर ब्याज का, जिनका, यदि वह आय आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष आय की विवरणी में प्रकट की गई होती तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया होता, आवेदन करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय कर दिया गया है और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। ";

(ii) उपधारा (1क) में "और धारा 245ग की उपधारा (2क) से उपधारा (2घ)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (1ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) जहां आवेदन में प्रकट की गई आय केवल एक पूर्ववर्ष से संबंधित है, वहां,—

(i) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है तो आवेदन में प्रकट की गई रकम पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसी आय कुल आय हो ;

(ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय की बाबत कोई विवरणी दी है तो विवरणी में उल्लिखित कुल आय के और आवेदन में प्रकट की गई आय के योग पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग कुल आय हो ।";

(iv) उपधारा (1ग) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(v) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) निर्धारिती उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आवेदन की एक प्रति भेजेगा ।"।

धारा 245घ का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2007 से, रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक को सुनने के पश्चात् समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा :

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ।";

(ii) उपधारा (2क), उपधारा (2ख), उपधारा (2ग) और उपधारा (2घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 जून, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन, 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन से ठीक पहले थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे आवेदन में प्रकट की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट आवेदनों की बाबत 31 जुलाई, 2007, उपधारा (1) के अधीन आवेदन को नामंजूर करने या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने के आदेश की तारीख समझी जाएगी ।

(2ख) समझौता आयोग,—

(i) ऐसे आवेदन की बाबत, जो उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उस तारीख से, जिसको आवेदन किया गया था, तीस दिन के भीतर ; या

(ii) उपधारा (2क) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत जो, उस उपधारा के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाता है, 7 अगस्त, 2007 को या उससे पूर्व,

आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा।

(2ग) जहां उपधारा (2ख) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, रिपोर्ट के आधार पर और रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, प्रश्नगत आवेदन को, अविधिमान्य घोषित कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजेगा :

परंतु कोई आवेदन तब तक अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि जहां आयुक्त ने रिपोर्ट पूर्वोक्त अवधि के भीतर नहीं दी है, वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले पर आगे कार्यवाही करेगा ।

(2घ) जहां धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन 1 जून, 2007 से पहले किया गया था और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने से ठीक पहले थे, आवेदन को कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर करने वाला कोई आदेश, 1 जून, 2007 से पूर्व पारित किया गया है, किंतु उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने से ठीक पहले थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व पारित नहीं किया गया था, वहां ऐसा आवेदन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे आवेदन में प्रकट की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय, समझौता आयोग द्वारा पहले अनुदत्त किसी समय विस्तारण के होते हुए भी, 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है ।";

(iii) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 जून, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) समझौता आयोग,—

(i) ऐसे आवेदन की बाबत, जिसे उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है ; या

(ii) उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट ऐसे आवेदन की बाबत, जिसको उस उपधारा के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है,

आयुक्त से अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, यदि समझौता आयोग की यह राय है कि मामले में कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है, वह आयुक्त को ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने के लिए और आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर तथा मामले से संबंधित किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा :

परंतु जहां आयुक्त पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना भी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।";

(4) अभिलेख और आयुक्त की,—

(i) उपधारा (2ख) या उपधारा (3), या

(ii) उपधारा (1) के उपबंधों, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें किए गए संशोधन से ठीक पहले थे,

के अधीन दी गई रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा के पश्चात् और आवेदक तथा आयुक्त को, व्यक्तिगत रूप से अथवा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात्, जो उसके समक्ष रखा जाए या उसे अभिप्राप्त हो, समझौता आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर और मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय पर, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं है, किंतु उसका आयुक्त की रिपोर्ट में उल्लेख है, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(4क) समझौता आयोग,—

(i) उपधारा (2क) या उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व,

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, नौ मास के भीतर,

उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।";

(iv) उपधारा (6क) में, "पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 245घघ का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 245घघ की उपधारा (2) के परंतुक में, ", किन्तु बढ़ाई गई कुल अवधि, किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों का, 1 जून, 2007 से लोप किया जाएगा ।

धारा 245ङ का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 245ङ के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि समझौता आयोग द्वारा ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 के पश्चात् किया जाता है, कोई कार्यवाही पुनः नहीं खोली जाएगी।"।

धारा 245च का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 245च की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है, वहां समझौता आयोग को उस तारीख से, जिसको आवेदन किया गया था, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी :

परंतु यह और कि जहां—

(i) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई आवेदन, धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है ; या

(ii) किसी आवेदन को, यथास्थिति, धारा 245घ की उक्त उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या उस धारा की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है ; या

(iii) किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है,

वहां समझौता आयोग को ऐसे आवेदन के संबंध में, उस तारीख तक जिसको, यथास्थिति, आवेदन को नामंजूर किया जाता है या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा अविधिमान्य घोषित किया जाता है या आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी ।"।

धारा 245ज का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए कोई आवेदन किया है, भारतीय दंड संहिता के अधीन या इस अधिनियम और धन-कर अधिनियम, 1957 से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति नहीं देगा ।" 1860 का 45 1957 का 27

60. आय-कर अधिनियम की धारा 245ज के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 245जक और धारा 245जकक का अंतःस्थापन।

"245जक. (1) जहां,— समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही का उपशमन होगा।

(i) धारा 245ग के अधीन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन को, धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया गया है; या

(ii) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को, धारा 245घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए या उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है; या

(iii) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया गया है; या

(iv) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी अन्य आवेदन के संबंध में धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 245घ की उपधारा (4क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर पारित नहीं किया गया है,

वहां समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विनिर्दिष्ट तारीख को उपशमन हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको आवेदन नामंजूर किया गया था;

(ख) खंड (ii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, 31 जुलाई, 2007;

(ग) खंड (iii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, उस मास का अंतिम दिन, जिसको आवेदन अविधिमान्य घोषित किया गया था;

(घ) खंड (iv) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको धारा 245घ की उपधारा (4क) में विनिर्दिष्ट समय या अवधि समाप्त हो जाती है ।

(2) जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य आय-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही आवेदन करने के समय लंबित थी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो धारा 245ग के अधीन आवेदन नहीं किया गया हो ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्रियों और जानकारी या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, की गई जांच या अभिलिखित साक्ष्य के परिणामों का इस प्रकार उपयोग करने के लिए हकदार होगा, मानो ऐसी सामग्री, जानकारी, जांच या साक्ष्य निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों या उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके द्वारा की गई या अभिलिखित किए गए हैं।

(4) धारा 149, धारा 153, धारा 153ख, धारा 154, धारा 155, धारा 158खङ और धारा 231के अधीन समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (2) के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग को किए गए आवेदन की तारीख से ही आरंभ होने वाली और उपधारा (1) में निर्दिष्ट "विनिर्दिष्ट तारीख" को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ; और जहां निर्धारिती कोई फर्म है, वहां धारा 186 की उपधारा (1) के अधीन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए उपरोक्त अवधि को इसी प्रकार अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

245जकक. जहां धारा 245ग के अधीन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया जाता है या धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर नहीं किया जाता है या धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है या धारा 245घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 245घ की उपधारा (4क) के अधीन उपबंधित समय या अवधि के भीतर पारित नहीं किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी, आवेदन करने की तारीख को या उससे पूर्व या समझौता आयोग के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान संदत्त कर और ब्याज के लिए प्रत्यय मंजूर कर सकेगा ।"। कार्यवाहियों के उपशमन की दशा में संदत्त कर के लिए प्रत्यय।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 245ट के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 245ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"245ट. (1) जहां,— समझौते के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन का वर्जन।

(i) धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पारित समझौता आदेश में धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर, शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है; या

(ii) किसी मामले के संबंध में उक्त उपधारा (4) के अधीन समझौता आदेश पारित करने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में, अध्याय 22 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या

(iii) ऐसे व्यक्ति का मामला, 1 जून, 2002 को या उससे पूर्व समझौता आयोग द्वारा निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा गया था,

वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में, धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति बाद में धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा ।"।

धारा 246क का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 246क में, 1 जून, 2007 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जख) धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किया गया आदेश ;";

(ii) खंड (ञ) के उपखंड (आ) में, "धारा 271क," शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, "धारा 271ककक," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2007 से पूर्व धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध किसी व्यतिक्रमी निर्धारिती द्वारा फाइल की गई प्रत्येक अपील, इस धारा के अधीन फाइल की गई समझी जाएगी ।"।

धारा 248 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 248 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील।

"248. जहां किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन ब्याज से भिन्न किसी आय पर कटौती योग्य कर ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय संदेय है और ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसे कर का संदाय कर देने के पश्चात्, यह दावा करता है कि ऐसी आय पर किसी कर की कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था, वहां वह इस घोषणा के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि ऐसी आय पर कोई कर कटौती-योग्य नहीं था ।" ।

धारा 249 का संशोधन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 249 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2007 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) जहां अपील धारा 248 के अधीन फाइल की जाती है, वहां कर के संदाय की तारीख, अथवा"।

धारा 253 का संशोधन।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, "धारा 12कक" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक के अधीन या धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 254 का संशोधन।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) के परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु अपील अधिकरण, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में, ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा और अपील अधिकरण उस आदेश में विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परंतु यह और कि जहां ऐसी अपील का निपटारा रोक आदेश में यथाविनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है वहां, अपील अधिकरण निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है, रोक की अवधि को विस्तारित कर सकेगा या ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, किंतु आरंभिक रूप से अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों का योग किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि या अवधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगाः

परंतु यह भी कि यदि ऐसी अपील का निपटारा पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभाव हो जाएगा ।"।

धारा 271 का संशोधन।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) में,—

(i) स्पष्टीकरण 4 के खंड (ख) में, "निर्धारित कुल आय पर कर अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर, "धारा 148 के अधीन अग्रिम कर, स्रोत पर कटौती किए गए कर, स्रोत पर संगृहीत कर और सूचना जारी करने से पूर्व संदत्त स्वतःनिर्धारण कर से घटाकर आई निर्धारित कुल आय पर कर अभिप्रेत है" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण 5 के आरंभिक भाग में, "धारा 132 के अधीन तलाशी" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जून, 2007 से पूर्व धारा 132 के अधीन ली गई तलाशी" शब्द और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 5 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 5क— जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी के प्रक्रम में निर्धारिती,—

(i) किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्तियां कहा गया है) स्वामी पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियां उसके द्वारा ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय का उपयोग (पूर्णतः या भागतः) करके अर्जित की गई है; या

(ii) किसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि के आधार पर कोई आय का स्वामी पाया जाता है और यह दावा करता है कि लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या अन्य संव्यवहारों में ऐसी प्रविष्टि ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए उसकी आय (पूर्णतः या भागतः) प्रदर्शित करती है,

जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है और ऐसे वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है तथा निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है तब इस बात के होते हुए कि ऐसी आय तलाशी की तारीख को

या उसके पश्चात् दी गई आय की किसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की गलत विशिष्टियां दी हैं ।"।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 271कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271ककक का अन्तःस्थापन।

"271ककक. (1) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी मामले में, जहां तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करेगा । जहां तालाशी आरंभ की गई है वहां शास्ति।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि निर्धारिती,—

(i) तलाशी के दौरान धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन किसी कथन में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और उस रीति को, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई निर्दिष्ट करता है;

(ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न की गई थी; और

(iii) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है।

(3) धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की बाबत निर्धारिती पर उद्गृहीत या अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(4) धारा 274 और धारा 275 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अप्रकटित आय" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखाबहियों में किसी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों से, जो धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान पाए जाते हैं, प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे,—

(अ) तलाशी की तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित नहीं किया गया है ; या

(आ) तलाशी की तारीख से पूर्व मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अन्यथा प्रकट नहीं किया गया है ; या

(ii) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में, सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किसी व्यय की बाबत किसी प्रविष्टि द्वारा प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे मिथ्या पाया जाता है और इस प्रकार नहीं पाया जाता, यदि तलाशी न ली गई होती;

(ख) "विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष" से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है,—

(i) जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है किंतु उस वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है और निर्धारिती ने उक्त तारीख से पूर्व पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी नहीं दी है; या

(ii) जिसमें तलाशी ली गई थी ।'।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 292ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 292ग का अंतःस्थापन।

"292ग. जहां कोई लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पाई जाती हैं या है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जाएगी कि,— आस्तियों, लेखा-बहियों आदि के बारे में उपधारणा।

(i) ऐसी लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ऐसे व्यक्ति की हैं या उससे संबंधित हैं;

(ii) ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु सत्य हैं; और

(iii) हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उसी व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है ।"।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में, खंड (ङङख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 295 का संशोधन।

"(ङङखक) वे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या संपरीक्षित रिपोर्टें, जो विवरणी के साथ नहीं दी जा सकेंगी, किन्तु निर्धारण अधिकारी के समक्ष धारा 139ग के अधीन मांग किए जाने पर प्रस्तुत की जाएंगी;

(डडखख) उस वर्ग या वर्गों के व्यक्ति, जिनसे इलेक्ट्रानिक रूप में आय की विवरणी देना अपेक्षित होगा ; इलेक्ट्रानिक रूप में उक्त विवरणी दिए जाने का प्ररूप और रीति ; वे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या रिपोर्टें, जो इलेक्ट्रानिक रूप में और कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रानिक अभिलेख से विवरणी के साथ नहीं दी जाएंगी, जिनमें ऐसी विवरणी धारा 139घ के अधीन पारेषित की जा सकेगी;"।

धारा 296 का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 296 में, 1 जून, 2007 से "धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अधीनजारी की गई प्रत्येक अधिसूचना" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "1 जून, 2007 से पहले धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

72. आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, 1 अप्रैल, 2008 से,—

(क) नियम 60 के उपनियम (1) के खंड (क) में, "पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 68क के उपनियम (3) में, "छह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए आधा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन।

73. आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क में,—

(i) नियम 3 के उपनियम (1) में,—

(क) परंतुक में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2008" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक की कोई बात किसी स्थापन की भविष्य निधि को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है ।"; 1952 का 19

(ii) नियम 4 के खंड (डक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(डक) निधि, ऐसे स्थापन की निधि होगी, जिसे कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं या ऐसे स्थापन की निधि होगी जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है और ऐसा स्थापन उस धारा में वर्णित किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट अभिप्राप्त करेगा ;"। 1952 का 19

धन-कर

धारा 2 का संशोधन।

74. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 1957 का 27

(क) खंड (गक) में,—

(i) "सुसंगत अधिकारिता निहित है और ऐसा" शब्दों के पश्चात्, "अपर आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित "अपर आयुक्त या" शब्दों के पश्चात्, "अपर निदेशक या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1996 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) खंड (टक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 25 अगस्त, 1976 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(टक) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे 1976 का 80
सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है ।' ।

धारा 22क का संशोधन।

75. धन-कर अधिनियम की धारा 22क में 1 जून, 2007 से,—

(क) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "मामला" से इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण की ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है जो उस तारीख को, जिसको धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो :

परंतु,—

(i) धारा 17 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कोई कार्यवाही ;

(ii) धारा 23क या धारा 24 या धारा 25 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में नया निर्धारण करने की कार्यवाही;

(iii) निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कोई कार्यवाही, जो धारा 37क के अधीन किसी तलाशी या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा के आधार पर ली गई हो,

इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की कार्यवाही नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) परंतुक के खंड (i) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, उस दशा में, जहां धारा 17 के अधीन कोई सूचना, जो धारा 37क के अधीन तलाशी या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा के आधार पर जारी नहीं की गई है, उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी, जिसको धारा 17 के अधीन सूचना जारी की जाती है;

(ii) परंतुक के खंड (ii) में निर्दिष्ट नया निर्धारण करने की कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी, जिसको धारा 23क या धारा 24 या धारा 25 के अधीन निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने का आदेश पारित किया गया था;

(iii) परंतुक के खंड (iii) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, धारा 37क के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को प्रारंभ की गई समझी जाएगी;

(iv) परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही से भिन्न किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण की कार्यवाही, निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ की गई और उस तारीख को समाप्त हुई, जिसको निर्धारण किया जाता है, समझी जाएगी;";

(ख) खंड (च) में, "अध्यक्ष अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य भी है जो न्यायपीठ के सदस्यों में से ज्येष्ठतम है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22ग का संशोधन।

76. धन-कर अधिनियम की धारा 22ग में, 1 जून, 2007 से,—

(i) उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे धन-कर और उस पर ब्याज का, जिनका, यदि वह आय आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष धन की विवरणी में घोषित की गई होती तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया होता, आवेदन करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय नहीं कर दिया गया है और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है ।";

(ii) उपधारा (1क) में "और धारा 22घ की उपधारा (2क) से उपधारा (2घ)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (1ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) जहां आवेदन में प्रकट किया गया धन केवल एक पूर्ववर्ष से संबंधित है, वहां,—

(i) यदि आवेदक ने उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है तो आवेदन में प्रकट की गई रकम पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा धन शुद्ध धन हो;

(ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी दी है तो विवरणी में उल्लिखित शुद्ध धन के और आवेदन में प्रकट किए गए धन के योग पर धन-कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग शुद्ध धन हो ।";

(iv) उपधारा (1ग) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(v) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) निर्धारिती उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आवेदन की एक प्रति भेजेगा ।"।

धारा 22घ का संशोधन।

77. धन-कर अधिनियम की धारा 22घ में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 22ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर, आवेदक को इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक को सुनने के पश्चात् समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगाः

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ।";

(ii) उपधारा (2क), उपधारा (2ख), उपधारा (2ग) और उपधारा (2घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 जून, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किंतु इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन से ठीक पहले थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा यदि ऐसे आवेदन में प्रकट किए गए धन पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट आवेदनों की बाबत 31 जुलाई, 2007, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, आवेदन को नामंजूर करने या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने के आदेश की तारीख समझी जाएगी ।

(2ख) समझौता आयोग,—

(i) ऐसे आवेदन की बाबत जो, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उस तारीख से जिसको आवेदन किया गया था, तीस दिन के भीतर; या

(ii) उपधारा (2क) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत जो उस उपधारा के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाता है, 7 अगस्त, 2007 को या उससे पूर्व,

आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा ।

(2ग) जहां उपधारा (2ख) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सामग्री के आधार पर और रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, प्रश्नगत आवेदन को, अविधिमान्य घोषित कर सकेगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजेगाः

परंतु कोई आवेदन तब तक अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया होः

परंतु यह और कि जहां आयुक्त ने रिपोर्ट पूर्वोक्त अवधि के भीतर नहीं दी है वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले पर आगे कार्यवाही करेगा ।

(2घ) जहां धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन 1 जून, 2007 से पहले किया गया था और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने से ठीक पहले, आवेदन को कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने वाला कोई आदेश, 1 जून, 2007 से पूर्व पारित किया गया है, किंतु उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा इनमें संशोधन के ठीक पहले थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व पारित नहीं किया गया था वहां ऐसा आवेदन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि ऐसे आवेदन में घोषित की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय, समझौता आयोग द्वारा अनुदत्त किसी समय विस्तारण के होते हुए भी, 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है ।";

(iii) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) समझौता आयोग,—

(i) ऐसे आवेदन की बाबत जिसे उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है; या

(ii) उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट ऐसे आवेदन की बाबत जिसको उस उपधारा के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है,

आयुक्त से अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, यदि समझौता आयोग की यह राय है कि मामले में आगे कोई जांच या अन्वेषण आवश्यक है, वह आयुक्त को आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषय पर तथा मामले से संबंधित किसी अन्य विषय की ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने के लिए और रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा :

परंतु जहां आयुक्त पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तो वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना भी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

(4) अभिलेख और आयुक्त की,—

(i) उपधारा (2ख) या उपधारा (3), या

(ii) उपधारा (1) के उपबंधों, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें किए गए संशोधन से ठीक पहले थे,

के अधीन दी गई रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा के पश्चात् और आवेदक तथा आयुक्त को, व्यक्तिगत रूप से अथवा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे और साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् जो उसके समक्ष रखा जाए या उसे अभिप्राप्त हो, समझौता आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार,, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषय पर या मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय पर,, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं है, किंतु उसका आयुक्त की रिपोर्ट में उल्लेख है, ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(4क) समझौता आयोग,—

(i) उपधारा (2क) या उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व ;

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से जिसमें आवेदन किया गया था, नौ मास के भीतर,

उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।";

(iv) उपधारा (6क) में, "पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 22घघ का संशोधन।

78. धन-कर अधिनियम की धारा 22घघ की उपधारा (2) के परंतुक में, ",किन्तु बढ़ाई गई कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों का 1 जून, 2007 से लोप किया जाएगा ।

धारा 22ङ का संशोधन।

79. धन-कर अधिनियम की धारा 22ङ के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 के पश्चात् किया जाता है, कोई कार्यवाही पुनः नहीं खोली जाएगी।"।

धारा 22च का संशोधन।

80. धन-कर अधिनियम की धारा 22च की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है, वहां समझौता आयोग को उस तारीख से, जिसको आवेदन किया गया था, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगीः

परंतु यह और कि जहां —

(i) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई आवेदन धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर कर दिया

जाता है; या

(ii) किसी आवेदन को, यथास्थिति, धारा 22घ की उक्त उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या उस धारा की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है; या

(iii) किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है,

वहां समझौता आयोग को ऐसे आवेदन के संबंध में, उस तारीख तक जिसको, यथास्थिति, आवेदन को नामंजूर किया जाता है या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा अविधिमान्य घोषित किया जाता है या आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी ।"।

धारा 22ज का संशोधन।

81. धन-कर अधिनियम की धारा 22ज की उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1860 का 45
1961 का 43

"परंतु यह और कि समझौता आयोग ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन किया है, भारतीय दंड संहिता के अधीन या इस अधिनियम और आय-कर अधिनियम, 1961 से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति नहीं देगा ।"।

नई धारा 22जक और धारा 22जकक का अंतःस्थापन।

82. धन-कर अधिनियम की धारा 22ज के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही का उपशमन।

'22जक. (1) जहां,—

(i) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात्, धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया गया है; या

(ii) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए या उपधारा (2घ) के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है; या

(iii) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया गया है; या

(iv) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी अन्य आवेदन के संबंध में धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 22घ की उपधारा (4क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर पारित नहीं किया गया है,

वहां समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विनिर्दिष्ट तारीख को उपशमन हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख जिसको आवेदन नामंजूर किया गया था ;

(ख) खंड (ii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, 31 जुलाई, 2007 ;

(ग) खंड (iii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, उस मास का अंतिम दिन, जिसमें वह तारीख, आवेदन अविधिमान्य घोषित किया गया था;

(घ) खंड (iv) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको धारा 22घ की उपधारा (4क) में विनिर्दिष्ट समय परिसीमा समाप्त हो जाती है ।

(2) जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य धन-कर प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो धारा 22ग के अधीन आवेदन नहीं किया गया हो ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य धन-कर प्राधिकारी समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्रियों और जानकारी या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, की गई जांच या अभिलिखित साक्ष्य के परिणामों का इस प्रकार उपयोग करने के लिए हकदार होगा, मानो ऐसी सामग्री, जानकारी, जांच या साक्ष्य निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों या उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके द्वारा की गई या अभिलिखित किए गए हैं ।

(4) धारा 17क, धारा 32, धारा 35 के अधीन और उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामले में धारा 34क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, धारा 22ग के अधीन समझौता आयोग को किए गए आवेदन की तारीख से ही आरंभ होने वाली और उपधारा (1) में निर्दिष्ट "विनिर्दिष्ट तारीख" को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

कार्यवाहियों के समापन की दशा में संदत्त कर के लिए प्रत्यय।

22जकक. जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया जाता है या धारा 22ग के अधीन किया गया कोई अन्य आवेदन धारा 22घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या धारा 22घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है या धारा 22घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 22घ की उपधारा (4क) के अधीन उपबंधित समय परिसीमा के पूर्व पारित नहीं किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी, आवेदन करने की तारीख को या उससे पूर्व या समझौता आयोग के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान संदत्त कर और ब्याज के लिए प्रत्यय मंजूर कर सकेगा ।'।

धारा 22ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

समझौते के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन का वर्जन।

83. धन-कर अधिनियम की धारा 22ट के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"22ट. (1) जहां,—

(i) धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन पारित समझौता आदेश में धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपने शुद्ध धन की विशिष्टियों को छिपाया है; या

(ii) किसी मामले के संबंध में उक्त उपधारा (4) के अधीन समझौता आदेश पारित करने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में, अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या

(iii) ऐसे व्यक्ति का मामला, 1 जून, 2002 को या उससे पूर्व समझौता आयोग द्वारा निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा जाता है,

वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में, धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति बाद में धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा ।"।

नई धारा 42घ का अंतःस्थापन।

84. धन-कर अधिनियम की धारा 42ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

आस्तियों, लेखाबहियों, आदि के बारे में उपधारणा।

"42घ. जहां कोई लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज, वस्तुएं या चीजें, जिनके अंतर्गत धन भी है, किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पाई जाती हैं तो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, यह उपधारणा की जा सकेगी कि-

(i) ऐसी बहियां या अन्य दस्तावेज, वस्तुएं या चीजें, जिनके अंतर्गत धन भी है, ऐसे व्यक्ति की हैं;

(ii) ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों की अंतर्वस्तुएं सत्य हैं; और

(iii) हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और किसी स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है ।"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 2 का संशोधन।

85. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (41) में, "धारा 14 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (3)" शब्द, अंक और कोष्ठक ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखे जाएंगे । 1962 का 52

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

86. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्यांकन।

'14. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए, आयातित माल और निर्यात किए गए माल का मूल्य, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार यथा अवधारित ऐसे माल का संव्यवहार मूल्य होगा: 1975 का 51

परंतु आयातित माल की दशा में, ऐसे संव्यवहार मूल्य के अंतर्गत, माल के लिए जब भारत में निर्यात के लिए विक्रय किया गया हो, वास्तव में संदत्त या संदेय कीमत के अतिरिक्त ऐसी कोई रकम होगी, जो क्रेता लागतों और सेवाओं के लिए जिसके अंतर्गत कमीशन और दलाली; सहायता, इंजीनियरी, डिजाइन कार्य, स्वामिस्व और अनुज्ञप्ति फीस, आयात के स्थान तक परिवहन के खर्चे, बीमा और संभलाई प्रभार भी हैं, संदाय करने के लिए दायी है:

परंतु यह और कि ऐसी कीमत उस तारीख को, जिसको, धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है या, यथास्थिति, धारा 50 के अधीन कोई पोतपत्र या निर्यात का पत्र प्रस्तुत किया जाता है, यथाप्रवृत्त विनिमय की दर के प्रतिनिर्देश से परिकलित की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आयातित माल या निर्यातित माल, उस या उसके जैसे माल की मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, के किसी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्य नियत कर सकेगी और जहां ऐसे कोई टैरिफ मूल्य नियत किए जाते हैं वहां शुल्क ऐसे टैरिफ मूल्य के प्रतिनिर्देश से प्रभार्य होगा ।

(3) जहां आयातित माल या निर्यातित माल का कोई विक्रय नहीं है या जहां माल का संव्यवहार मूल्य अवधारण योग्य नहीं है वहां ऐसे माल का मूल्य इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिमय दर" से वह दर अभिप्रेत है जो—

(i) बोर्ड द्वारा अवधारित की गई हो; या

(ii) उस रीति से अभिनिश्चित की गई हो, जो बोर्ड,

भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी या विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के लिए निदेश करे;

1999 का 42

(ख) "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" के वही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ड) और (थ) में हैं ।'।

धारा 27 का संशोधन।

87. सीमाशुल्क अधिनियम, की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) में तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप शुल्क प्रतिदेय हो जाता है वहां, यथास्थिति, एक वर्ष या छह मास की परिसीमा की संगणना ऐसे निर्णय की डिक्री, निदेश या आदेश की तारीख से की जाएगी ।"।

धारा 28ङ का संशोधन।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ के खंड (ग) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारत में संयुक्त उद्यम" से ऐसी संविदात्मक व्यवस्था अभिप्रेत है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है और जिसके एक या अधिक साझेदार या भागीदार अथवा साधारण शेयरधारक ऐसे अनिवासी हैं जिनका ऐसी व्यवस्था में सारवान् हित है;' ।

धारा 75क का संशोधन।

89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी दावेदार को किसी वापसी का संदाय भूल से किया गया है या वह अन्यथा वसूलनीय हो जाता है, वहां दावेदार, मांग की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर वापसी की उक्त रकम के अतिरिक्त धारा 28कख के अधीन नियत दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की रकम की संगणना दावेदार को ऐसी वापसी के संदाय की तारीख से आरंभ होने वाली और ऐसी वापसी की वसूली की तारीख तक की अवधि के लिए की जाएगी ।"।

अध्याय 10क का लोप।

90. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 10क का लोप किया जाएगा ।

धारा 127क का संशोधन।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क के खंड (ख) के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "मामला" से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण के लिए ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 127ख की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो:

परंतु जब किसी न्यायालय, अपील अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही को, यथास्थिति, किसी अपील या पुनरीक्षण में, यथास्थिति, नए न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है तब उस कार्यवाही को इस खंड के अर्थान्तर्गत लंबित कार्यवाही नहीं समझा जाएगा;' ।

धारा 127ख का संशोधन।

92. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख की उपधारा (1) के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) कोई आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) अपने से संबंधित किसी मामले की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मामले में समझौता कराने के लिए समझौता आयोग को न्यायनिर्णयन से पूर्व आवेदन कर सकेगा, जिसमें उसके शुल्क दायित्व का, जो उसने समुचित अधिकारी के समक्ष, प्रकट नहीं किया है, पूरा और सच्चा प्रकटीकरण ऐसी रीति, जिसमें ऐसा दायित्व उपगत हुआ है, उसके द्वारा संदेय रूप में स्वीकृत सीमाशुल्क की अतिरिक्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विनिर्दिष्ट की जाएं अंतर्विष्ट हों, जिसके अंतर्गत ऐसे शुल्क्य माल की विशिष्टियां भी हैं, जिसकी बाबत उसने माल के गलत वर्गीकरण, अवमूल्यांकन, छूट संबंधी अधिसूचना या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के लागू न होने के कारण कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है और ऐसे किसी आवेदन का निपटारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में किया जाएगा:

परंतु ऐसा कोई आवेदन तभी किया जाएगा जब—

(क) आवेदक ने, यथास्थिति, ऐसे माल के आयात या निर्यात की बाबत प्रवेशपत्र या पोतपत्र फाइल कर दिया है और ऐसे प्रवेशपत्र या पोतपत्र के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा उसे हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर दी गई है;

(ख) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकृत शुल्क की अतिरिक्त रकम तीन लाख रुपए से अधिक है; और

(ग) आवेदक अपने द्वारा स्वीकृत सीमाशुल्क की अतिरिक्त रकम का धारा 28कख के अधीन देय ब्याज के साथ संदाय कर दिया है:

परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे मामलों में कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा जो अपील अधिकरण या किसी न्यायालय में लंबित है:

परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ऐसे माल की बाबत, जिसे धारा 123 लागू होती है या ऐसे माल की बाबत नहीं किया जाएगा जिसकी बाबत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन कोई अपराध किया गया है:

1985 का 61

1975 का 51

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन माल के वर्गीकरण के निर्वचन के लिए नहीं किया जाएगा ।

(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन, 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किन्तु धारा 127ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है, वहां आवेदक 1 जून, 2007 से तीस दिन की अवधि के भीतर स्वीकृत शुल्क दायित्व का संदाय करेगा, जिसके न करने पर उसका आवेदन खारिज किए जाने के लिए दायी होगा ।"।

धारा 127ग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 127ख के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

"127ग. (1) धारा 127ख के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को इस बारे में लिखित में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् समझौता आयोग, सूचना की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा आवेदन को, यथास्थिति, कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा या खारिज कर देगा और समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का खारिजी की तारीख से उपशमन हो जाएगाः

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई सूचना जारी नहीं की गई है या कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को और अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(3) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है या अनुज्ञात किया गया समझा जाता है वहां समझौता आयोग उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा :

परंतु जहां आयुक्त तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले में आगे कार्यवाही करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि मामले में आगे कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है तो आयुक्त (अन्वेषण) को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने का और समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा :

परंतु जहां आयुक्त (अन्वेषण) पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(5) समझौता आयोग, अभिलेखों और उपधारा (3) के अधीन प्राप्त सीमाशुल्क आयुक्त की रिपोर्ट और उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को तथा उस पर अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त को, स्वयं या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जो उसके समक्ष रखा जाए या उसके द्वारा अभिप्राप्त किया जाए, परीक्षा करने के पश्चात्, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं आता है किन्तु उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त और आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश 31 मई, 2007 को या उससे पूर्व फाइल किए गए आवेदन की बाबत, 29 फरवरी, 2008 के पश्चात् और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के, जिसमें आवेदन किया गया था, अंतिम दिन से नौ मास के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा जिसके असफल रहने पर समझौता कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन किए जाने के समय कार्यवाही लम्बित थी, मामले का निपटारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे करेगा मानो धारा 127ख के अधीन कोई आवेदन किया ही नहीं गया था।

(7) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समझौता आयोग के समक्ष अभिलेख पर लाई गई सामग्रियों पर संबंधित न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व विचार किया जाएगा और ऐसे आदेश को पारित करने के संबंध में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32घ के उपबंध लागू होंगे । 1944 का 1

(8) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश में, समझौते के निबंधन उपबंधित होंगे, जिनके अंतर्गत शुल्क, शास्ति या ब्याज के रूप में कोई मांग, वह रीति, जिसमें समझौते के अधीन देय कोई राशि संदत्त की जाएगी और समझौते को प्रभावी करने के लिए अन्य सभी बातें होंगी और खारिजी की दशा में, उसके लिए कारण अंतर्विष्ट होंगे और उसमें यह भी उपबंध होगा कि समझौता उस दशा में, शून्य हो जाएगा, जिसमें समझौता आयोग द्वारा बाद में यह पाया जाता है कि उसे कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हैः

परंतु समझौता आयोग द्वारा आदेश की गई समझौते की रकम धारा 127ख के अधीन आवेदक द्वारा स्वीकार किए गए शुल्क दायित्व से कम नहीं होगी ।

(9) जहां उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, आवेदक द्वारा संदेय किसी शुल्क, ब्याज, जुर्माने और शास्ति का, उसके द्वारा आदेश की प्रति की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है वहां ऐसी राशि, जो असंदत्त रह गई है, उस पर देय ब्याज के साथ धारा 142 के उपबंधों के अनुसार आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले समुचित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय राशियों के रूप में वसूल की जाएगी ।

(10) जहां कोई समझौता उपधारा (8) के अधीन उपबंधित रूप में शून्य हो जाता है वहां समझौते के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कार्यवाहियां उस प्रक्रम से पुनः आरंभ हुई समझी जाएंगी, जिस पर आवेदन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए समझौता आयोग द्वारा अनुज्ञात किया गया था और अधिकारिता रखने वाला समुचित अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियों को ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से कि समझौता शून्य हो गया है, दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पूरा कर सकेगा ।"।

धारा 127ङ का संशोधन।

94. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ङ के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 127ख या के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 के पश्चात् किया जाता है, कोई कार्यवाही पुनः नहीं खोली जाएगी।"।

95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127च की उपधारा (2) में, "(7)" और "(6)" कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "(5)" और "(4)" कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे । धारा 127च का संशोधन।

96. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज में, 1 जून, 2007 से,— धारा 127ज का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

1860 का 45

(क) "या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति, जुर्माने या ब्याज के अधिरोपण से पूर्णतः या भागतः उन्मुक्ति दे सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति और जुर्माने के अधिरोपण से भी पूर्णतः या भागतः उन्मुक्ति दे सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि 31 मई, 2007 को या उसके पूर्व समझौता आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदनों का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा, मानो इस धारा में संशोधन प्रवृत्त न हुआ हो ।";

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 127ग की उपधारा (7) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो समझौता आयोग अनुज्ञात करे" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 127ग की उपधारा (5) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ञ में, "(7)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(5)"कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएगें। धारा 127ञ का संशोधन।

98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ट में, "(7)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "(5)" कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे । धारा 127ट का संशोधन।

99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और— धारा 127ठ का संशोधन।

(i) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में, "जहां" शब्द के स्थान पर, "जहां 1 जून, 2007 से पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां किसी आवेदक ने धारा 127ख की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 127ग की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, वहां ऐसा आवेदक किसी अन्य मामले के संबंध में धारा 127ख के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा :

परंतु ऐसा आवेदक समझौते के लिए कोई आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा यदि पश्चात्वर्ती आवेदन में विवाद्यक, विवाद की अवधि और रकम से भिन्न उस विवाद्यक के समान है जिसकी बाबत पूर्वतर आवेदन समझौता आयोग के समक्ष लंबित है ।" ।

100. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ङक का 1 जून, 2007 से लोप किया जाएगा । धारा 127ङक का लोप।

101. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 129 का संशोधन।

"(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, पद पर न रहने पर, अपील अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के हकदार नहीं होंगे ।"।

102. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ में,— धारा 129घ का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यथास्थिति, सीमाशुल्क मुख्य आयुक्तों या सीमाशुल्क आयुक्तों की समिति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश करेगी ।";

(ii) उपधारा (4) में "तीन मास" शब्दों के स्थान पर, "एक मास" शब्द रखे जाएंगे ।

103. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् : — धारा 135 का संशोधन।

"(1) इस अधिनियम के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति,—

(क) किसी माल के संबंध में, उन पर प्रभार्य किसी शुल्क के, या इस अधिनियम या ऐसे माल की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तत्समय अधिरोपित किसी प्रतिषेध के, मूल्य की गलत घोषणा या कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन का प्रयास करने में किसी भी प्रकार जानबूझकर संबंध रखेगा, या

(ख) किसी माल का जो वह जानता है या जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे, यथास्थिति, धारा 111 या धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी हैं, कब्जा प्राप्त करेगा या उनके वहन, हटाने, निक्षेप करने, संश्रय देने, रखने, छिपाने, विक्रय या क्रय करने में किसी भी प्रकार का संबंध रखेगा या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करेगा; या

(ग) किसी माल का, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, निर्यात करने का प्रयास करता है; या

(घ) माल के निर्यात के संबंध में, इस अधिनियम में उपबंधित शुल्क की वापसी या उससे कोई छूट कपटपूर्ण रूप से प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा,

तो वह,—

(i) निम्नलिखित से संबंधित किसी अपराध की दशा में,—

(अ) ऐसा कोई माल जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, या

(आ) तीस लाख रुपए से अधिक शुल्क का अपवंचन या अपवंचन का प्रयास, या

(इ) प्रतिषिद्ध माल के ऐसे प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,, या

(ई) खंड (घ) में निर्दिष्ट शुल्क से कपटपूर्ण रूप से वापसी या कोई छूट प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, यदि शुल्क की वापसी या छूट की रकम तीस लाख रुपए से अधिक है,

कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से दंडनीय होगाः

परंतु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।"।

धारा 156 का संशोधन।

104. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आयातित माल और निर्यातित माल के संव्यवहार मूल्य का अवधारण करने की रीति;

(कक) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन आयातित माल या निर्यातित माल के मूल्य का अवधारण करने की रीति;" ।

सीमाशुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन।

105. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,— 1975 का 51

(i) पहली अनुसूची का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ii) दूसरी अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

(ग) किसी माल का, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, निर्यात करने का प्रयास करता है; या

(घ) माल के निर्यात के संबंध में, इस अधिनियम में उपबंधित शुल्क की वापसी या उससे कोई छूट कपटपूर्ण रूप से प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा,

तो वह,—

(i) निम्नलिखित से संबंधित किसी अपराध की दशा में,—

(अ) ऐसा कोई माल जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, या

(आ) तीस लाख रुपए से अधिक शुल्क का अपवंचन या अपवंचन का प्रयास, या

(इ) प्रतिषिद्ध माल के ऐसे प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,, या

(ई) खंड (घ) में निर्दिष्ट शुल्क से कपटपूर्ण रूप से वापसी या कोई छूट प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, यदि शुल्क की वापसी या छूट की रकम तीस लाख रुपए से अधिक है,

कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से दंडनीय होगाः

परंतु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।"।

धारा 156 का संशोधन।

104. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आयातित माल और निर्यातित माल के संव्यवहार मूल्य का अवधारण करने की रीति;

(कक) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन आयातित माल या निर्यातित माल के मूल्य का अवधारण करने की रीति;" ।

सीमाशुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन।

105. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,— 1975 का 51

(i) पहली अनुसूची का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ii) दूसरी अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

धारा 3 का संशोधन।

106. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में,— 1944 का 1

(i) परंतुक के खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण 2 में,—

(क) खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(iii) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में है ।' । 2005 का 28

धारा 11ख का संशोधन।

107. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के स्पष्टीकरण के खंड (आ) के उपखंड (डख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(डग) ऐसी दशा में जहां शुल्क, अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदेय हो जाता है वहां ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की तारीख;" ।

धारा 23क का संशोधन।

108. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क के खंड (ग) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारत में संयुक्त उद्यम" से ऐसी संविदात्मक व्यवस्था अभिप्रेत है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है और जिसके एक या अधिक साझेदार या भागीदार अथवा साधारण शेयरधारक ऐसा अनिवासी है जिसका ऐसी व्यवस्था में सारवान् हित है;' ।

धारा 31 का संशोधन।

109. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के खंड (ग) के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) "मामला" से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण के लिए ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 32ङ की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित होः

परंतु जब किसी न्यायालय, अपील अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही को, यथास्थिति, किसी अपील या

पुनरीक्षण में, यथास्थिति, नए न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है तब उस कार्यवाही को इस खंड के अर्थान्तर्गत लंबित कार्यवाही नहीं समझा जाएगा ;'।

धारा 32क का संशोधन।

110. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32क की उपधारा (6) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह और कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, यदि वह यह समझता है कि मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसकी सुनवाई तीन सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो वह तीन सदस्यों वाली ऐसी न्यायपीठ का गठन कर सकेगा और यदि उपाध्यक्ष सदस्यों में से नहीं है तो सदस्यों में से ज्येष्ठ सदस्य ऐसी न्यायपीठ के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।"।

धारा 32ङ का संशोधन।

111. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (1) के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) कोई निर्धारिती, अपने से संबंधित किसी मामले की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मामले में समझौता कराने के लिए समझौता आयोग को न्यायनिर्णयन से पूर्व आवेदन कर सकेगा, जिसमें उसके शुल्क दायित्व का, जो उसने उस केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष, जिसकी उस पर अधिकारिता हो, प्रकट नहीं किया है, पूरा और सच्चा प्रकटीकरण ऐसी रीति, जिसमें ऐसा दायित्व व्युत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा संदेय रूप में स्वीकृत उत्पाद-शुल्क की अतिरिक्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतर्विष्ट हों, जिसके अंतर्गत ऐसे शुल्क्य माल की विशिष्टियां भी हैं, जिसकी बाबत उसने माल के गलत वर्गीकरण, अवमूल्यांकन, छूट संबंधी अधिसूचना या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के लागू न होने के कारण कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है जिसकी बाबत निर्धारिती द्वारा अपने दैनिक स्टॉक रजिस्टर में कोई उचित अभिलेख नहीं रखे गए हैं और ऐसे किसी आवेदन का निपटारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में किया जाएगाः

परंतु ऐसा कोई आवेदन तभी किया जाएगा जब —

(क) आवेदक ने विहित रीति में, उत्पादन, अनापत्ति और संदत्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दर्शित करते हुए विवरणियां फाइल कर दी हैं ;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा जारी की गई शुल्क की वसूली के लिए हेतुक दर्शित करने वाली सूचना आवेदक द्वारा प्राप्त की गई है;

(ग) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकृत शुल्क की अतिरिक्त राशि तीन लाख रुपए से अधिक है; और

(घ) आवेदक अपने द्वारा स्वीकृत उत्पाद-शुल्क की अतिरिक्त रकम का धारा 11कख के अधीन देय ब्याज के साथ संदाय कर दिया हैः

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन समझौता आयोग द्वारा कोई आवेदन ऐसे मामलों में ग्रहण नहीं किया जाएगा, जो अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हैः

परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अधीन शुल्क्य माल के वर्गीकरण के निर्वचन के लिए नहीं किया जाएगा ।

1986 का 5

(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन, 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किन्तु धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है या धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग द्वारा इस प्रकार आदेश की गई रकम का संदाय नहीं किया गया है, वहां आवेदक 1 जून, 2007 से तीस दिन की अवधि के भीतर स्वीकृत शुल्क दायित्व का संदाय करेगा, जिसके न करने पर उसका आवेदन नामंजूर किए जाने के लिए दायी होगा ।"।

धारा 32च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

112. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 32ङ के अधीन आवेदन की प्राप्ति के संबंध में प्रक्रिया।

"32च. (1) धारा 32ङ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को इस बारे में लिखित में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने पश्चात् समझौता आयोग, सूचना की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा आवेदन को, यथास्थिति, कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा या नामंजूर करेगा और समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का नामंजूरी की तारीख से उपशमन हो जाएगाः

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई सूचना जारी नहीं की गई है या कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को और अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(3) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाता है वहां समझौता आयोग उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगाः

परंतु जहां आयुक्त तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले में आगे कार्यवाही करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां

समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट की परीक्षा करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि मामले में आगे कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है तो आयुक्त (अन्वेषण) को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने का और समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित की किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगाः

परंतु जहां आयुक्त (अन्वेषण) पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(5) समझौता आयोग, अभिलेखों और उपधारा (3) के अधीन प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त की रिपोर्ट और उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को तथा उस पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को, स्वयं या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जो उसके समक्ष रखा जाए या उसके द्वारा अभिप्राप्त किया जाए, परीक्षा करने के पश्चात्, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं आता है किन्तु उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त और आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश 31 मई, 2007 को या उससे पूर्व फाइल किए गए आवेदन की बाबत, 29 फरवरी, 2008 के पश्चात् और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के, जिसमें आवेदन किया गया था, अंतिम दिन से नौ मास के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा जिसके असफल रहने पर समझौता कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन किए जाने के समय कार्यवाही लम्बित थी, मामले का निपटारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे करेगा मानो धारा 32ङ के अधीन कोई आवेदन किया ही नहीं गया था।

(7) धारा 32क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समझौता आयोग के समक्ष अभिलेख पर लाई गई सामग्रियों पर संबंधित न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व विचार किया जाएगा और ऐसे आदेश को पारित करने के संबंध में धारा 32घ के उपबंध लागू होंगे ।

(8) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश में, समझौते के निबंधन उपबंधित होंगे, जिनके अंतर्गत शुल्क, शास्ति या ब्याज के रूप में कोई मांग, वह रीति, जिसमें समझौते के अधीन देय कोई राशि संदत्त की जाएगी और समझौते को प्रभावी करने के लिए अन्य सभी बातें होंगी और नामंजूरी की दशा में, उसके लिए कारण अंतर्विष्ट होंगे और उसमें यह भी उपबंध होगा कि समझौता उस दशा में शून्य हो जाएगा, जिसमें समझौता आयोग द्वारा बाद में यह पाया जाता है कि उसे कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है :

परंतु समझौता आयोग द्वारा आदेश की गई समझौते की रकम धारा 32ङ के अधीन आवेदक द्वारा स्वीकार किए गए शुल्क दायित्व से कम नहीं होगी ।

(9) जहां निर्धारिती द्वारा, उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, संदेय किसी शुल्क, ब्याज, जुर्माने और शास्ति का, उसके द्वारा आदेश की प्रति की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है वहां ऐसी राशि, जो असंदत्त रह गई है उस पर देय ब्याज के साथ धारा 11 के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय राशियों के रूप में वसूल की जाएगी ।

(10) जहां कोई समझौता उपधारा (8) के अधीन उपबंधित रूप में शून्य हो जाता है वहां समझौते के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कार्यवाहियां उस प्रक्रम से पुनः आरंभ हुई समझी जाएंगी, जिस पर आवेदन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए समझौता आयोग द्वारा अनुज्ञात किया गया था और अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियों को ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से, कि समझौता शून्य हो गया है, दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पूरा कर सकेगी ।"।

धारा 32ज का संशोधन।

113. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ज के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 32ङ के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया जाता है, कोई कार्यवाही पुनः नहीं खोली जाएगी।"।

धारा 32झ का संशोधन।

114. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32झ की उपधारा (2) में, "(7)" और "(6)" कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "(5)" और "(4)" कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 32ट का संशोधन।

115. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ट में, 1 जून, 2007 से—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति, जुर्माने या ब्याज के अधिरोपण से पूर्णतः या भागतः उन्मुक्ति दे सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति और जुर्माने के अधिरोपण से भी पूर्णतः या भागतः उन्मुक्ति दे सकेगा" शब्द रखे जाएंगे; 1860 का 45

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि 31 मई, 2007 को या उसके पूर्व समझौता आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदनों का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा, मानो इस धारा में संशोधन प्रवृत्त न हुआ हो।";

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 32च की उपधारा (7) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो समझौता आयोग अनुज्ञात करे" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 32च की उपधारा (5) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

116. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड में, "(7)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(5)"कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे। धारा 32ड का संशोधन।

117. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ढ में, "(7)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "(5)" कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे । धारा 32ढ का संशोधन।

118. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और— धारा 32ण का संशोधन।

(i) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, "जहां" शब्द के स्थान पर, "जहां 1 जून, 2007 से पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां किसी निर्धारिती ने धारा 32ङ की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, वहां ऐसा निर्धारिती किसी अन्य मामले के संबंध में धारा 32ङ के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा:

परंतु ऐसा निर्धारिती समझौते के लिए कोई आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा यदि पश्चात्वर्ती आवेदन में विवाद्यक, विवाद की अवधि और रकम से भिन्न उस विवाद्यक के समान है जिसकी बाबत पूर्वतर आवेदन समझौता आयोग के समक्ष लंबित है ।" ।

119. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32तक का 1 जून, 2007 से लोप किया जाएगा । धारा 32तक का लोप।

120. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ में,— धारा 35ङ का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यथास्थिति, केंद्रीय मुख्य उत्पाद-शुल्क आयुक्तों या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति उस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश करेगी ।";

(ii) उपधारा (4) में "तीन मास" शब्दों के स्थान पर, "एक मास" शब्द रखे जाएंगे ।

121. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 35च का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मांगे गए शुल्क" के अंतर्गत निम्नलिखित है,—

(i) धारा 11घ के अधीन अवधारित रकम;

(ii) भूल से लिए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की रकम;

(iii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग के अधीन संदेय रकम;

(iv) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के अधीन संदेय रकम;

(v) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय ब्याज ।"।

122. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 में,— धारा 37 का संशोधन।

(i) उपधारा (4) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

123. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में,— तीसरी अनुसूची का संशोधन।

(i) तीसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा; और

(ii) तीसरी अनुसूची का भी, खंड (i) में किए गए संशोधन के सिवाय, ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, चौथी अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट रीति से, संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

124. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा । 1986 के अधिनियम 5 की पहली अनुसूची का संशोधन।

अध्याय 5

सेवा कर

125. वित्त अधिनियम, 1994 में,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(अ) धारा 65 में, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(1) खंड (12) में,—

(क) उपखंड (क) में,—

(i) "या कोई अन्य व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "या वाणिज्यिक समुत्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) मद (i) के अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण— इस मद के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय पट्टे" से कोई पट्टा संव्यवहार अभिप्रेत है, जहां—

(i) पट्टे के लिए संविदा विनिर्दिष्ट आस्ति के पट्टे पर देने के लिए दो पक्षकारों के बीच की जाती है;

(ii) ऐसी संविदा, पट्टेधारी द्वारा आस्ति के प्रयोग और अधिभोग के लिए है;

(iii) पट्टा संदाय को परिकलित किया गया है जिससे कि आस्ति की पूर्ण लागत ब्याज प्रभारों के साथ उसके अंतर्गत आ सके; और

(iv) पट्टाधारी पट्टावधि के अंत में पट्टे का संदाय करने के पश्चात् उसके स्वामित्व के लिए हकदार है या उसके पास स्वामित्व का विकल्प है;';

(iii) मद (v) में, "अभिरक्षा, निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "अभिरक्षा, निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं" शब्द रखे जाएंगे;';

(2) खंड (20) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(20) "कैब" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई मोटरकैब ; या

(ii) कोई मैक्सीकैब ; या

(iii) ऐसा कोई मोटर यान, जो किराए या पारिश्रमिक के लिए, चालक को छोड़कर, बारह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित है या बनाया गया है :

परन्तु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मैक्सीकैब या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट मोटर यान, जो किसी वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेंटर से भिन्न किसी विषय या क्षेत्र पर कौशल या ज्ञान या शिक्षा देने वाले किसी शैक्षिक निकाय द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए किराए पर दी गई है, कैब के अर्थान्तर्गत सम्मिलित नहीं होगा;';

(3) खंड (36क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(36ख) "डिजाइन सेवाएं" के अंतर्गत फर्नीचर, उपभोक्ता उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, पैकेजों, लोगो, चित्रों, वेबसाइटों की डिजाइनिंग और निगम पहचान डिजाइनिंग और त्रि-आयामी नमूनों के उत्पादन के डिजाइनिंग के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं हैं ;

(36ग) "अंतर्वस्तु का विकास और प्रदाय" के अंतर्गत मोबाइल मूल्य वर्धित सेवाओं, संगीत, चलचित्र क्लिप, रिंगटोन, वाल पेपर, मोबाइल गेम, डाटा चाहे इकट्ठे हों या नहीं हों, सूचना, समाचार और सजीव फिल्मों का विकास और प्रदाय भी है;';

(4) खंड (40) में, "खेलकूद या किसी अन्य घटना" शब्दों के स्थान पर "खेलकूद, विवाह या किसी अन्य घटना" शब्द रखे जाएंगे ;

(5) खंड (60) का लोप किया जाएगा ;

(6) खंड (64) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए "माल" के अंतर्गत कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है;';

(7) खंड (65) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(65) "प्रबंध या कारबार परामर्शी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन या कारबार के प्रबंध के संबंध में, किसी भी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो वित्तीय प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, विपणन प्रबंध, उत्पादन प्रबंध, संभार प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपापन और प्रबंध या प्रबंधन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के संबंध में कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है;';

(8) खंड (66) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए सामाजिक समारोह के अंतर्गत विवाह भी है ;";

(9) खंड (67) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए **"**सामाजिक समारोह**"** के अंतर्गत विवाह भी है;";

(10) खंड (77क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए सामाजिक समारोह के अंतर्गत "विवाह" भी है ;";

(11) खंड (90) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(90क) "स्थावर संपत्ति को किराए पर देना, के अंतर्गत उद्योग या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में उपयोग के लिए स्थावर संपत्ति को किराए पर देना, भाटक पर देना, पट्टे पर देना, अनुज्ञप्ति पर देना या अन्य इसी प्रकार की व्यवस्था भी है किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,

(i) किसी धार्मिक निकाय द्वारा या किसी धार्मिक निकाय को स्थावर संपत्ति को किराए पर देना, या

(ii) कौशल या ज्ञान या वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्रों से भिन्न किसी विषय या क्षेत्र में शिक्षा देने वाले किसी शैक्षिक निकाय को स्थावर संपत्ति किराए पर देना;

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए "कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में उपयोग के लिए" के अंतर्गत कारखानों, कार्यालय भवनों, भांडागारों, थिएटरों, प्रदर्शनी हालों और बहु उपयोगी भवनों के रूप में स्थावर सम्पत्ति का उपयोग भी है;';

(12) खंड (104) का लोप किया जाएगा;

(13) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (ख) और उपखंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपखंड (छ) में, "किन्तु कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी या कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरी की विद्या शाखा में नहीं" शब्दों के स्थान पर, "जिसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी भी है किन्तु कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरी की विद्या शाखा नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपखंड (ट) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए जनशक्ति की भर्ती या पूर्ति के अंतर्गत अभ्यर्थी की भर्ती पूर्व छानबीन, प्रमाणपत्रों और पूर्ववृत्त का सत्यापन तथा अभ्यर्थी द्वारा दिए गए दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता भी है;';

(घ) उपखंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(द) किसी कक्षीकार को, किसी रीति में, किसी संगठन के प्रबंध या कारबार के संबंध में, किसी प्रबंध या कारबार परामर्शी द्वारा ;';

(ङ) उपखंड (यघ), उपखंड (यङ), उपखंड (यच) और उपखंड (यछ) का लोप किया जाएगा ;

(च) उपखंड (यङ) में, "या किसी अन्य व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "या वाणिज्यिक समुत्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपखंड (यययङ) में, स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण 2— इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए 'प्रिंट मीडिया' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

1867 का 25 (i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित "समाचार पत्र";

1867 का 25 (ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित "पुस्तक", किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निर्देशिका, येलो पेजेज और व्यापार सूचीपत्र नहीं है, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए हैं ;';

(ज) उपखंड (ययय्ब) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(ययभ) किसी व्यक्ति को, दूरसंचार सेवा के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा;

(यययम) किसी व्यक्ति को, खनिज, तेल या गैस के खनन के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(यययय) किसी व्यक्ति को, कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में प्रयोग के लिए स्थावार संपत्ति को किराए पर देने के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "स्थावर संपत्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, —

(i) भवन और किसी भवन का कोई भाग और उससे संलग्न भूमि;

(ii) ऐसे भवन या भवन के भाग के प्रयोग के लिए आनुषंगिक भूमि ;

(iii) संयुक्त या बांटे गए क्षेत्र और उनसे संबंधित सुविधाएं; और

(iv) किसी काम्प्लेक्स या किसी औद्योगिक संपदा में अवस्थित किसी भवन की दशा में, ऐसे काम्प्लेक्स या संपदा के भीतर के सभी संयुक्त क्षेत्र और उनसे संबंधित सुविधाएं,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं —

(क) रिक्त भूमि, जिसका एकमात्र रूप से उपयोग कृषि, जल-कृषि, खेती, वनोद्योग, पशु-पालन, खनन प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

(ख) रिक्त भूमि, चाहे उनमें ऐसी सुविधाएं हों या नहीं, जो ऐसी रिक्त भूमि के प्रयोग के लिए स्पष्ट रूप से आनुषंगिक न हों;

(ग) शिक्षा, खेलकूद, सर्कस, मनोरंजन और पार्किंग के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि; और

(घ) केवल आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त और वास-स्थान के लिए प्रयुक्त भवन जिसके अंतर्गत होटल, छात्रावास, बोर्डिंग हाउस, अवकाश सुविधा, टेंट, शिविर सुविधाएं भी हैं।

स्पष्टीकरण 2—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, भागतः कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसको अग्रसर करने में प्रयुक्त और भागतः आवासीय या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी स्थावर संपत्ति को कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में प्रयोग के लिए स्थावर संपत्ति समझा जाएगा ;

(ययययक) किसी व्यक्ति को ऐसी संकर्म संविदा के, जिसके अन्तर्गत सड़कों, विमानपत्तनों, रेलमार्गों, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों से संबंधित संकर्म नहीं है, निष्पादन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "संकर्म संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसमें,—

(i) ऐसी संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में संपत्ति का अंतरण माल के विक्रय के रूप में कर से उद्ग्रहणीय है, और

(ii) ऐसी संविदा निम्नलिखित के क्रियान्वयन के प्रयोजनों के लिए है, —

(क) संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या संरचना के निर्माण, कमीशन या अधिष्ठापन, चाहे पूर्व निर्मित हो या अन्यथा, विद्युत और विद्युत युक्तियों का अधिष्ठापन, प्लंबिंग, द्रवों के परिवहन के लिए नाली बिछाना या अन्य अधिष्ठापन, ऊष्मीकरण, वातायन या प्रशीतन, जिसके अंतर्गत संबद्ध पाइप कार्य, नलिका कार्य और शीट धातु कार्य, तापरोधन, ध्वनिरोधन, अग्निरोधन या जलरोधन, लिफ्ट और एस्केलेटर, अग्नि बचाव सीढ़ियां या उत्थापक भी हैं; या

(ख) मुख्यतः वाणिज्य या उद्योग के प्रयोजनों के लिए किसी नए भवन या सिविल संरचना या उसके भाग अथवा किसी पाइप लाइन या नाली का निर्माण; या

(ग) किसी नए आवासीय कांप्लेक्स या उसके भाग का निर्माण; या

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के संबंध में समाप्ति और अंतिम रूप दिए जाने संबंधी सेवाएं, मरम्मत, परिवर्तन, नवीकरण या पुनर्स्थापन या इसी प्रकार की सेवाएं; या

(ङ) टर्नकी परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत इंजीनियरी, उपापन और निर्माण या कमीशन (ईपीसी) संबंधी परियोजनाएं भी हैं;

(ययययख) किसी व्यक्ति को, दूरसंचार सेवाओं, विज्ञापन अभिकरण सेवाओं और ऑनलाइन सूचना तथा डाटा आधारित पहुंच या पुनःप्राप्ति सेवाओं में प्रयोग के लिए अंतर्वस्तु के विकास और प्रदाय के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ययययग) किसी व्यक्ति को, किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था के सिवाय, जिसके अंतर्गत उपखंड (यङ) में निर्दिष्ट कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक अनुसंधान भी है, विभाग प्रबंध और सभी प्रकार के निधि प्रबंध सहित आस्ति प्रबंध के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययययघ) किसी व्यक्ति को, डिजाइन सेवाओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा नहीं है,—

(i) उपखंड (थ) में निर्दिष्ट आंतरिक साजसज्जक; या

(ii) उपखंड (यफ) में निर्दिष्ट फैशन डिजाइनिंग के संबंध में फैशन डिजाइनर;';

(14) खंड (109) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(109क) "दूरसंचार सेवा" से तार, रेडियो, प्रकाश, दृश्य या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साधनों या प्रणालियों द्वारा संकेतों, सिगनलों, लेख, प्रतिरूपों और ध्वनियों या किसी प्रकार की आसूचना या सूचना के किसी पारेषण, उत्सर्जन या ग्रहण के माध्यम से उपलब्ध कराई गई किसी वर्णन की सेवा अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे पारेषण, उत्सर्जन या ग्रहण के लिए क्षमता के उपयोग के अधिकार का संबंधित अंतरण या समनुदेशन भी है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है— 1885 का 13

(i) वायस मेल, डाटा सेवाएं, आडियो टेक्स सेवाएं, वीडियो टेक्स सेवाएं, रेडियो पेजिंग;

(ii) स्थिर टेलीफोन सेवाएं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को और वायस, डाटा और वीडियो, अंतर्बंध और बाह्यबंध टेलीफोन सेवा के पारेषण और स्विचिंग के लिए पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क तक पहुंच और उसके प्रयोग का उपबंध भी है;

(iii) सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को और उनसे वायस, डाटा और वीडियो, अंतर्बंध और बाह्यबंध रोमिंग सेवा के पारेषण के लिए और स्विच्ड और नान स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्कों तक पहुंच और उनके प्रयोग का उपबंध भी है;

(iv) वाहक सेवा, जिसके अंतर्गत कालों को आरंभ, समाप्त या परिवर्तित करने के लिए तारयुक्त या बेतार सुविधाओं का उपबंध, अंतरदेशीय या अंतरराष्ट्रीय कालों के अंतरसंयोजन, स्थापन या समापन के लिए प्रभारण, संयुक्त रूप से प्रयुक्त सुविधाओं, जिसके अंतर्गत पोल संलग्नक भी है के लिए प्रभारण, सर्किटों, किसी पट्टाधृत सर्किट या किसी समर्पित संबंधन जिसके अंतर्गत वाक सर्किट, डाटा सर्किट या तार सर्किट भी है, के अनन्य प्रयोग के लिए प्रभारण सम्मिलित है ;

(v) फीस के लिए काल प्रबंधन सेवाओं, जिसके अंतर्गत काल प्रतीक्षा, काल अग्रेषण, कालर पहचान, त्रिमार्गी कालिंग, काल प्रदर्शन, काल वापसी, काल स्क्रीन, काल ब्लाकिंग, स्वचालित काल वापसी, काल उत्तर, वायस मेल, वायस मेनस और वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है, का उपबंध ;

(vi) प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं, जिसके अंतर्गत, कक्षीकार के अनन्य प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट स्थलों के बीच तारयुक्त या बेतार दूरसंचार संबंधन का उपबंध भी है ;

(vii) डाटा पारेषण सेवाएं, जिसके अंतर्गत तारयुक्त या बेतार सुविधाओं तक पहुंच का उपबंध भी है और डाटा के दक्ष पारेषण के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिकल्पित सेवाएं ; और

(viii) प्रतिरूप, पेजर, तार और टेलेक्स के माध्यम से संपर्क,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा नहीं है —

(क) खंड (105) के उपखंड (यज) में निर्दिष्ट ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनर्सुधार या दोनों के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) खंड (105) के उपखंड (यट) में निर्दिष्ट प्रसारण के संबंध में, किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा; और

(ग) खंड (105) के उपखंड (यययप) में निर्दिष्ट इंटरनेट टेलीफोनी के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा;';

(आ) धारा 66 के स्थान पर, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"66. धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (क), उपखंड (घ), उपखंड (ङ), उपखंड (च), उपखंड (छ), उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ), उपखंड (ण), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यख), उपखंड (यग), उपखंड (यज), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यट), उपखंड (यठ), उपखंड (यड), उपखंड (यढ), उपखंड (यण), उपखंड (यत), उपखंड (यथ), उपखंड (यद), उपखंड (यध), उपखंड (यन), उपखंड (यप), उपखंड (यफ), उपखंड (यब), उपखंड (यभ), उपखंड (यम), उपखंड (यय), उपखंड (ययक), उपखंड (ययख), उपखंड (ययग), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययङ), उपखंड (ययच), उपखंड (ययछ), उपखंड (ययज), उपखंड (ययझ), उपखंड (ययट), उपखंड (ययठ), उपखंड (ययड), उपखंड (ययढ), उपखंड (ययण), उपखंड (ययत), उपखंड (ययथ), उपखंड (ययद), उपखंड (ययध), उपखंड (ययन), उपखंड (ययप), उपखंड (ययफ), उपखंड (ययब), उपखंड (ययभ), उपखंड (ययम), उपखंड (ययय), उपखंड (यययक), उपखंड (यययख), उपखंड (यययग), उपखंड (यययघ), उपखंड (यययङ), उपखंड (यययच), उपखंड (यययछ), उपखंड (यययज), उपखंड (यययझ), उपखंड (यययञ), उपखंड (यययट), उपखंड (यययठ), उपखंड (यययड), उपखंड (यययढ), उपखंड (यययण), उपखंड (यययत), उपखंड (यययथ), उपखंड (यययद), उपखंड (यययध), उपखंड (यययन), उपखंड (यययप), उपखंड (यययफ), उपखंड (यययब), उपखंड (यययभ), उपखंड (यययम), उपखंड (यययय), उपखंड (ययययक), उपखंड (ययययख), उपखंड (ययययग) और उपखंड (यययघ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से एक कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा कर कहा गया है) उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।";

(इ) धारा 70 की उपधारा (1) में, "जो विहित किया जाएगा", शब्दों के स्थान पर, "और विवरणी के विलंब से दिए जाने के लिए, दो हजार रुपए से अनधिक की ऐसी विलम्ब फीस के साथ, जो विहित की जाए", शब्द रखे जाएंगे;

(ई) धारा 83 में,—

(i) "14", अंकों के पश्चात्, "14कक", अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "37घ" अंकों और अक्षर के पश्चात्, "38क" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(उ) धारा 86 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1994 का 43

"(1क) (i) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा, जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों;

(ii) खंड (i) के अधीन गठित प्रत्येक समिति, यथास्थिति, दो मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों या दो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी।";

(ख) उपधारा (2) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्: —

'(2क) आयुक्तों की समिति, यदि वह धारा 85 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश का विरोध करती है तो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश दे सकेगी;';

(घ) उपधारा (3) में, "बोर्ड द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य आयुक्तों की समिति या आयुक्तों की समिति द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) धारा 70 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी जाने वाली विवरणियों का प्ररूप, रीति और अंतराल तथा उपधारा (1) के अधीन विवरणी के विलंब से दिए जाने के लिए विलंब फीस;";

(ऊ) धारा 95 की उपधारा (1ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1घ) यदि वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा इस अध्याय में समाविष्ट किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी: 5

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसको वित्त विधेयक, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।";

(ए) धारा 96क के खंड (ख) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 10

'स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारत में संयुक्त उद्यम" से ऐसी संविदात्मक व्यवस्था अभिप्रेत है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है और जिसके एक या अधिक साझेदार या भागीदार अथवा साधारण शेयरधारक ऐसे अनिवासी हैं जिनका ऐसी व्यवस्था में सारवान् हित है;' ।

अध्याय 6

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

126. (1) धारा 2 की उपधारा (12) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नामक एक उपकर उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, धारा 2 की उपधारा (12) और इस अध्याय के अधीन उद्‌गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर की ऐसी धनराशि का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जिन्हें वह आवश्यक समझे, कर सकेगी ।

परिभाषा।

127. इस अध्याय में प्रयुक्त और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके, यथास्थिति, उन अधिनियमों या अध्याय में हैं । 1944 का 1 1962 का 52 1994 का 32

उत्पाद-शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

128. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की, जो विनिर्मित या उत्पादित माल है, दशा में धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, ऐसे सभी उत्पाद-शुल्कों पर [जिसके अंतर्गत विशेष उत्पाद-शुल्क या कोई अन्य उत्पाद-शुल्क भी है किन्तु वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नहीं है], जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत किए जाते हैं, के कुल योग पर परिकलित एक प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क (जिसे इस धारा में शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर कहा गया है) होगा । 1986 का 5 2004 का 23 1994 का 1

(2) शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर के अतिरिक्त होगा । 1944 का 1 2004 का 23

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और उससे छूटों तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्कों के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं । 1944 का 1

आयातित माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

129. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में आयातित माल है, धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सीमाशुल्कों के, जो केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाता है, योग पर संगणित एक प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क (जिसे इस धारा में आयातित माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर कहा गया है) होगा और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य कोई राशि सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगी और उसी रूप में प्रभार्य राशि होगी, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं होगा। 1975 का 51 1962 का 52

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क ; 1975 का 51

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क ; 1975 का 51

(ग) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिशुल्क ; 1975 का 51

(घ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ; और 1975 का 51

(ङ) आयातित माल पर वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 94 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर । 2004 का 23

(2) आयातित माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य सीमाशुल्कों और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 94 के अधीन प्रभार्य शिक्षा कर के अतिरिक्त होगा । 1962 का 52 2004 का 23

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्कों की वापसी और छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध, नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके, आयातित माल पर माध्यमिक और 1962 का 52

1962 का 52 उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्‌गहण और संग्रहण के संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या नियमों या विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

130. (1) ऐसी सभी सेवाओं की दशा में, जो कराधेय सेवाएं हैं, धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा 1994 का 32 उपकर, ऐसे कर पर, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अधीन उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से परिकलित एक कर (जिसे इस धारा में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर कहा गया है), होगा।

1944 का 1 (2) उत्पाद-शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन या तत्समय 2004 का 23 प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर के अतिरिक्त होगा ।

1994 का 32 (3) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत कर के प्रतिदायों और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर कर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

2004 के अधिनियम 23 का संशोधन ।

131. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में,—

(1) धारा 93 की उपधारा (1) में, "शिक्षा उपकर नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नहीं है" शब्द रखे जाएंगे;

(2) धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, "शिक्षा उपकर" शब्दों के स्थान पर, "वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

132. केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (iiघ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 1956 के अधिनियम 74 की धारा 14 का संशोधन।

'(iiघ) अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित चालीस हजार किलो ग्राम से कम के अधिकतम उठान द्रव्यमान के वायुयान को विक्रय किया गया विमानन टरबाइन ईंधन ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित एयरलाइनों" से ऐसी एयरलाइनें अभिप्रेत हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा किसी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा का प्रचालन करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ।' ।

133. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा । 1957 के अधिनियम 58 की पहली अनुसूची का संशोधन।

134. वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 7 की धारा 94 में, 1 जून, 2007 से— 2005 के अधिनियम 18 की धारा 94 का संशोधन।

(क) खंड (5) में, "और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का कोई कार्यालय या स्थापन सम्मिलित है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (8) में,—

(i) उपखंड (क) की मद (i) में, "पच्चीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ख) की मद (i) में, "पच्चीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

———

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 128 और खंड 129 (कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को छोड़कर) के साथ पठित खंड 105(ii), खंड 123(i), खंड 124 और खंड 126 के उपबंधों का अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभाव होगा । 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	5,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	21,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	13,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसरण में संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा	
(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,	
और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ढाई प्रतिशत की दर से ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगीः—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर —	10 प्रतिशत ;
(अ) केंद्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से जारी धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं	
(vi) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(च) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है,] आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ए) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख) (ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ए) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(viii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ix) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(iii) प्रत्येक फर्म की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ;

(आ) इस भाग की मद 2 में, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज के अधीन प्रभार्य अनुषंगी फायदे या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में यथा विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है या धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदा है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (ii) और मद (iii) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	4,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	24,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	20,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	11,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटाकर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिात की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो उस आय की रकम से अधिक है जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; या	
(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,	
और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगा ।

भाग 4

[धारा 2(12)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के रहते हुए लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्मार्क्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[खंड 105(i)देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 21 में, उपशीर्ष 2106 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "150%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 22 में,—

(i) टैरिफ मद 2207 10 11, 2207 10 19 और 2207 10 90 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "150%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 2208 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "150%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 25 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 2504 और 2510 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 2504 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, "10%" और "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 26 में, टैरिफ मद 2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 और 2620 30 90 में, उनमें से प्रत्येक मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 27 में,—

(i) शीर्ष 2701 (टैरिफ मद 2701 12 00 के सिवाय) सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 2702, 2703 और 2704 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2705 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 2706, 2707 और 2708 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 28 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 2801, 2802, 2803, 2804, 2805 और 2814 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 2801, 2802, 2803, 2804 और 2805 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 29 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2905 43 00, 2905 44 00, 2917 37 00, 2933 71 00, 2936 21 00, 2936 22 10, 2936 22 90, 2936 23 10, 2936 23 90, 2936 24 00, 2936 25 00, 2936 26 10, 2936 26 90, 2936 27 00, 2936 28 00, 2936 29 10, 2936 29 20, 2936 29 30, 2936 29 40, 2936 29 50, 2936 29 90, 2936 90 00, 2937 11 00, 2937 12 00, 2937 19 00, 2937 21 00, 2937 22 00, 2937 23 00, 2937 29 00, 2937 31 00, 2937 39 00, 2937 40 00, 2937 50 00, 2937 90 00, 2939 41 10, 2939 41 20, 2939 41 90, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00, 2941 10 10, 2941 10 20, 2941 10 30, 2941 10 40, 2941 10 50, 2941 10 90, 2941 20 10, 2941 20 90, 2941 30 10, 2941 30 20, 2941 30 90, 2941 40 00, 2941 50 00, 2941 90 11, 2941 90 12, 2941 90 13, 2941 90 14, 2941 90 19, 2941 90 20, 2941 90 30, 2941 90 40, 2941 90 50, 2941 90 60 और 2941 90 90 की टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2917 37 00 और 2933 71 00 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक मद के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः, "10%" और "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 2936 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, "10%" और "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2937 11 00, 2937 12 00, 2937 19 00, 2937 21 00, 2937 22 00, 2937 23 00, 2937 29 00, 2937 31 00, 2937 39 00, 2937 40 00, 2937 50 00, 2937 90 00, 2939 41 10, 2939 41 20, 2939 41 90, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 और 2939 59 00 में, उनमें से प्रत्येक मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, "10%" और "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 2941 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, "10%" और "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 30 में,—

(i) शीर्ष 3001, 3002, 3003 और 3004 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, "10%" और "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 3005 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 3006 10 10, 3006 10 20, 3006 20 00, 3006 30 00, 3006 40 00, 3006 50 00, 3006 70 00, 3006 91 00 और 3006 92 00 में प्रत्येक मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

website : http//indiabudget.nic.in

(9) अध्याय 31 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00, 3105 90 10 और 3105 90 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 32 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 33 में,—

(i) उपशीर्ष 3302 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 3303, 3304, 3305, 3306 और 3307 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 34 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, "10%" और "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 35 में, शीर्ष 3506 और 3507 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 36 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 37 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 38 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12 10, 3815 12 90, 3818 00 10, 3818 00 90, 3823 11 11, 3823 11 12, 3823 11 19, 3823 11 90, 3823 12 00, 3823 13 00, 3823 19 00, 3823 70 10, 3823 70 20, 3823 70 30, 3823 70 40, 3823 70 90, 3824 60 10 और 3824 60 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12 10 और 3815 12 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, "10%" और "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 39 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 40 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 4001 10 10, 4001 10 20, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 10, 4001 29 20, 4001 29 30, 4001 29 40, 4001 29 90 और 4011 30 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 41 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 4101, 4102 और 4103 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 42 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 43 में, शीर्ष 4302, 4303 और 4304 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 44 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 4401, 4402 और 4403 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 45 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 46 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 47 में, शीर्ष 4707 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) अध्याय 48 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 49 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 4902 10 10, 4902 10 20, 4902 90 10, 4902 90 20, 4904 00 00, 4905 10 00, 4905 91 00, 4905 99 10 और 4905 99 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(28) अध्याय 50 में, शीर्ष 5004, 5005, 5006 और 5007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(29) अध्याय 51 में,—

(i) शीर्ष 5104 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 5105 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 5105 29 10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 5106, 5107, 5108, 5109 और 5110 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5111 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5111 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5111 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5111 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5111 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5112 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5112 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 155 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5112 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 85 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 5112 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5112 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) शीर्ष 5113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(30) अध्याय 52 में,—

(i) शीर्ष 5204, 5205, 5206 और 5207 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32 और 5208 33 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5208 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5208 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5208 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 37 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5208 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5208 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 200 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5208 51 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 27 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5208 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 23 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5208 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5209 11 और 5209 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5209 19 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5209 21, 5209 22 और 5209 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5209 31, 5209 32 और 5209 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 5209 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 5209 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष 5209 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष 5209 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 5209 51 और 5209 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 5209 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 5210 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 5210 19 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष 5210 21, 5210 29, 5210 31 और 5210 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 5210 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष 5210 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष 5210 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 185 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष 5210 51 और 5210 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष 5211 11 और 5211 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 5211 19 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष 5211 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष 5211 31, 5211 32 और 5211 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 5211 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 44 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) टैरिफ मद 5211 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 5211 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) उपशीर्ष 5211 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 5211 51, 5211 52 और 5211 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) टैरिफ मद 5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 और 5212 14 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 5212 15 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 165 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) टैरिफ मद 5212 21 00, 5212 22 00 और 5212 23 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) टैरिफ मद 5212 24 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) टैरिफ मद 5212 25 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 165 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(31) अध्याय 53 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 5301 और 5302 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(32) अध्याय 54 में,—

(i) शीर्ष 5401, 5402, 5403 और 5404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5405 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5406 00 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5407 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 115 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5407 20 और 5407 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5407 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5407 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5407 43 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5407 44 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 58 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5407 51 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5407 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5407 53 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5407 54 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5407 61 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 5407 69 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 5407 71 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5407 72 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 5407 73 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 5407 74 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 5407 81 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 5407 82 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 5407 83 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष 5407 84 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 5407 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 5407 92 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 5407 93 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 5407 94 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 5408 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष 5408 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष 5408 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 5408 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 47 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 5408 24 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 87 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) उपशीर्ष 5408 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 5408 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 44 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 5408 33 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 5408 34 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(33) अध्याय 55 में,—

(i) शीर्ष 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 और 5510 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5511 10 00 और 5511 20 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 31 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5511 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5512 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5512 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5512 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5512 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 47 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5512 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5512 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 65 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5513 11, 5513 12, 5513 13 और 5513 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 5513 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5513 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 125 रुपए प्रति किलो ग्राम या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिकतम हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 5513 29 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 185 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 5513 31 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 21 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 5513 39 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 125 रुपए प्रति किलो ग्राम या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिकतम हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 5513 41 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5513 49 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 185 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष 5514 11, 5514 12 और 5514 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 5514 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 100 रुपए प्रति किलो ग्राम या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिकतम हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 5514 22 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 140 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 5514 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 160 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 5514 29 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 170 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 5514 30 11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 64 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) टैरिफ मद 5514 30 12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 43 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 5514 30 13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 180 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 5514 30 19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 5514 41 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 26 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 5514 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 140 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 5514 43 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 5514 49 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 160 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष 5515 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 5515 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 95 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) उपशीर्ष 5515 13 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 5515 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) उपशीर्ष 5515 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 79 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 5515 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 140 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष 5515 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) उपशीर्ष 5515 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 57 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) उपशीर्ष 5515 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) उपशीर्ष 5516 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) टैरिफ मद 5516 12 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) टैरिफ मद 5516 13 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) उपशीर्ष 5516 14 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) उपशीर्ष 5516 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) टैरिफ मद 5516 22 00 और 5516 23 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) टैरिफ मद 5516 24 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) उपशीर्ष 5516 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) टैरिफ मद 5516 32 00, 5516 33 00 और 5516 34 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) उपशीर्ष 5516 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) टैरिफ मद 5516 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(li) टैरिफ मद 5516 43 00 और 5516 44 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lii) उपशीर्ष 5516 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liii) टैरिफ मद 5516 92 00 की स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liv) टैरिफ मद 5516 93 00 की स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 21 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lv) टैरिफ मद 5516 94 00 की स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(34) अध्याय 56 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(35) अध्याय 57 में,—

(i) शीर्ष 5701 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5702 10 00 की स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5702 20 और 5702 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5702 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 105 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5702 39 और 5702 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5702 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5702 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5702 50 21, 5702 50 22 और 5702 50 29 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 105 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 5702 50 31, 5702 50 32, 5702 50 33 और 5702 50 39 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5702 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी

(xi) उपशीर्ष 5702 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 5702 99 और 5703 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5703 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5703 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 5703 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 5704 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष 5704 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) शीर्ष 5705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(36) अध्याय 58 में,—

(i) टैरिफ मद 5801 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 210 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5801 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5801 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 5801 23 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 5801 24 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 5801 25 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 5801 26 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 180 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5801 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 5801 32 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 180 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 5801 33 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5801 34 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 140 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5801 35 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 68 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5801 36 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 130 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5801 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 5802 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 5802 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5802 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 5802 30 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) शीर्ष 5803 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) शीर्ष 5804 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 200 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) शीर्ष 5805, 5806, 5807, 5808 और 5809 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 5810 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 200 रुपए प्रति किलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 5810 91 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 5810 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 5810 99 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) शीर्ष 5811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(37) अध्याय 59 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(38) अध्याय 60 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 6001 92 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6001 92 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10% या 100 रु0 प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(39) अध्याय 61 में,—

(i) टैरिफ मद 6101 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10% या 540 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 6101 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10% या 530 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 6101 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 6102 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10% या 595 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 6102 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10% या 425 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 6102 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10% या 475 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 6102 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 6103 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 6104 13 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 6104 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10% या 460 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 6104 22 00 और 6104 23 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 6104 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 6104 31 00, 6104 32 00 और 6104 33 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 6104 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 6104 41 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 255 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 6104 42 00 में स्तभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 6104 43 00 और 6104 44 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 255 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष 6104 49 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 220 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 6104 51 00, 6104 52 00 और 6104 53 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 6104 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 6104 61 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 6104 62 00 और 6104 63 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 98 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष 6104 69 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 6105 10 और 6105 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 83 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष 6105 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 90 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 6106 10 00 के स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 90 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष 6106 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 25 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष 6106 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 6107 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 24 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष 6107 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष 6107 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) टैरिफ मद 6107 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) उपशीर्ष 6107 22, 6107 29, 6107 91 और 6107 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 6108 11 और 6108 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 6108 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 25 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 6108 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 25 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष 6108 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 6108 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) उपशीर्ष 6108 32 और 6108 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) टैरिफ मद 6108 91 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 65 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) उपशीर्ष 6108 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 60 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) उपशीर्ष 6108 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) टैरिफ मद 6109 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 45 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) उपशीर्ष 6109 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 50 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) उपशीर्ष 6110 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 275 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) टैरिफ मद 6110 12 00 और 6110 19 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 275 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) टैरिफ मद 6110 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 85 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) उपशीर्ष 6110 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) टैरिफ मद 6110 90 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 105 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) शीर्ष 6111 और 6112 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(li) टैरिफ मद 6113 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lii) शीर्ष 6114, 6115, 6116 और 6117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(40) अध्याय 62 में,—

(i) टैरिफ मद 6201 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 385 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 6201 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 385 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 6201 13 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 320 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 6201 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 6201 91 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 220 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 6201 92 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 210 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 6201 93 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 180 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 6201 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 6202 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 385 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 6202 12 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 210 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 6202 13 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 385 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 6202 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 6202 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 220 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 6202 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 160 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 6202 93 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 220 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 6202 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 6203 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 1100 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 6203 12 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 720 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 6203 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 1110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 6203 22 00, 6203 23 00 और 6203 29 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 6203 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 815 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 6203 32 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 440 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 6203 33 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 320 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 6203 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 755 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 6203 41 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 285 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 6203 42 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 6203 43 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष 6203 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 6204 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 550 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 6204 12 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 6204 13 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 550 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 6204 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 500 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) टैरिफ मद 6204 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 6204 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 6204 23 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 6204 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) टैरिफ मद 6204 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 370 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 6204 32 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 650 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) टैरिफ मद 6204 33 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 390 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) उपशीर्ष 6204 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 350 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) उपशीर्ष 6204 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) उपशीर्ष 6204 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 116 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) उपशीर्ष 6204 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) टैरिफ मद 6204 44 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) उपशीर्ष 6204 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) टैरिफ मद 6204 51 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 485 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) टैरिफ मद 6204 52 00 और 6204 53 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) उपशीर्ष 6204 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) उपशीर्ष 6204 61 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 285 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) टैरिफ मद 6204 62 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(li) टैरिफ मद 6204 63 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lii) उपशीर्ष 6204 69 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liii) टैरिफ मद 6205 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 85 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liv) टैरिफ मद 6205 30 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 120 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lv) उपशीर्ष 6205 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 95 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvi) उपशीर्ष 6206 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvii) टैरिफ मद 6206 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lviii) टैरिफ मद 6206 30 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 95 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lix) टैरिफ मद 6206 40 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 120 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lx) टैरिफ मद 6206 90 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxi) टैरिफ मद 6207 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 28 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxii) उपशीर्ष 6207 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxiii) टैरिफ मद 6207 21 00, 6207 22 00 और 6207 29 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxiv) उपशीर्ष 6207 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxv) उपशीर्ष 6207 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 70 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxvi) टैरिफ मद 6208 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 80 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxvii) उपशीर्ष 6208 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 60 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxviii) टैरिफ मद 6208 21 00 और 6208 22 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxix) उपशीर्ष 6208 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxx) उपशीर्ष 6208 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 95 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxi) उपशीर्ष 6208 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 65 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxii) उपशीर्ष 6208 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxiii) शीर्ष 6209 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxiv) टैरिफ मद 6210 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxv) उपशीर्ष 6210 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 365 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxvi) उपशीर्ष 6210 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 305 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxvii) उपशीर्ष 6210 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 65 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxviii) टैरिफ मद 6210 50 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 65 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxix) टैरिफ मद 6211 11 00, 6211 12 00 और 6211 20 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxx) टैरिफ मद 6211 32 00 और 6211 33 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxi) टैरिफ मद 6211 39 00 और 6211 41 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxii) उपशीर्ष 6211 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxiii) टैरिफ मद 6211 43 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxiv) टैरिफ मद 6211 49 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxv) शीर्ष 6212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxvi) शीर्ष 6213 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxvii) उपशीर्ष 6214 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 390 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxviii) उपशीर्ष 6214 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 180 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxix) टैरिफ मद 6214 30 00 और 6214 40 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xc) उपशीर्ष 6214 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 75 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xci) शीर्ष 6215 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 55 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xcii) शीर्ष 6216 और 6217 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(41) अध्याय 63 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदों 6301 20 00, 6302 21 00 और 6302 31 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6301 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 275 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 6302 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 108 रु0 प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 6302 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 96 रु0 प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(42) अध्याय 64 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(43) अध्याय 65 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(44) अध्याय 66 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(45) अध्याय 67 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(46) अध्याय 68 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(47) अध्याय 69 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(48) अध्याय 70 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(49) अध्याय 71 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(50) अध्याय 72 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(51) अध्याय 73 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(52) अध्याय 74 में,—

(i) शीर्ष 7401, 7402, 7403 और 7404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7405 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 7406, 7407 , 7408, 7409 और 7410 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 7411 और 7412 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 7413 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 7415, 7418 और 7419 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(53) अध्याय 75 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(54) अध्याय 76 में,—

(i) शीर्ष 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606 और 7607 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 7608 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 7609 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 7610 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 7611 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 7612, 7613, 7614, 7615 और 7616 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(55) अध्याय 78 में,—

(i) शीर्ष 7801, 7802 और 7804 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 7806 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(56) अध्याय 79 में,—

(i) शीर्ष 7901, 7902, 7903, 7904 और 7905 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 7907 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(57) अध्याय 80 में,—

(i) शीर्ष 8001, 8002 और 8003 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(58) अध्याय 81 में,—

(i) शीर्ष 8101 (टैरिफ मद 8101 99 10 और 8101 99 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8101 99 10 और 8101 99 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8102 (टैरिफ मद 8102 99 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8102 99 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 8103 (टैरिफ मद 8103 90 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 8103 90 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 8104 (टैरिफ मद 8104 90 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 8104 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 8105 (टैरिफ मद 8105 90 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 8105 90 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) शीर्ष 8106 (टैरिफ मद 8106 00 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 8106 00 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) शीर्ष 8107 (टैरिफ मद 8107 90 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 8107 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) शीर्ष 8108 (टैरिफ मद 8108 90 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 8108 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) शीर्ष 8109 (टैरिफ मद 8109 90 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 8109 90 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) शीर्ष 8110 (टैरिफ मद 8110 90 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 8110 90 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) शीर्ष 8111 (टैरिफ मद 8111 00 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 8111 00 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) शीर्ष 8112 (टैरिफ मद 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00 और 8112 99 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) टैरिफ मद 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00 और 8112 99 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) शीर्ष 8113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(59) अध्याय 82 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(60) अध्याय 83 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(61) अध्याय 84 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8407 21 00, 8413 11 10, 8413 19 10, 8413 20 00, 8413 91 40, 8414 20 10, 8414 20 20, 8414 51 10, 8414 51 20, 8414 51 30, 8414 59 20, 8414 90 12, 8414 90 30, 8415 10 10, 8415 10 90, 8415 20 10, 8415 20 90, 8415 81 10, 8415 81 90, 8415 82 10, 8415 82 90, 8415 83 10, 8415 83 90, 8415 90 00, 8418 10 90, 8418 21 00, 8418 29 00, 8418 30 90, 8418 69 20, 8418 69 30, 8419 11 10, 8419 19 10, 8419 81 10, 8419 81 20, 8419 81 90, 8419 90 10, 8421 21 20, 8422 11 00, 8422 90 20, 8423 10 00, 8423 90 10, 8433 11 90, 8433 19 90, 8443 32 10, 8443 32 20, 8443 32 30, 8443 32 40, 8443 32 50, 8443 32 60, 8443 32 90, 8443 99 10, 8443 99 20, 8443 99 30, 8443 99 40, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 59, 8450 11 00, 8450 12 00, 8450 19 00, 8450 90 10, 8451 21 00, 8451 30 10, 8452 10 11, 8452 10 12, 8452 10 19, 8452 10 21, 8252 10 22, 8452 10 29, 8452 30 10, 8452 90 10, 8456 90 10, 8469 00 10, 8469 00 20, 8469 00 90, 8470 10 00, 8470 21 00, 8470 29 00, 8470 30 00, 8470 50 10, 8470 50 20, 8470 90 10, 8470 90 20, 8471 30 10, 8471 30 90, 8471 41 10, 8471 41 20, 8471 41 90, 8471 49 00, 8471 50 00, 8471 60 10, 8471 60 24, 8471 60 25, 8471 60 29, 8471 60 40, 8471 60 50, 8471 60 60, 8471 60 90, 8471 70 10, 8471 70 20, 8471 70 30, 8471 70 40, 8471 70 50, 8471 70 60, 8471 70 70, 8471 70 90, 8471 80 00, 8471 90 00, 8472 90 10, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 10, 8473 30 20, 8473 30 30, 8473 30 40, 8473 30 91, 8473 30 92, 8473 30 99 और 8473 50 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मदों 8413 11 10, 8413 19 10, 8413 20 00, 8413 91 40, 8414 20 10, 8414 20 20, 8414 51 10, 8414 51 20, 8414 51 30, 8414 59 20, 8414 90 12, 8414 90 30, 8415 10 10, 8415 10 90, 8415 20 10, 8415 20 90, 8415 81 10, 8415 81 90, 8415 82 10, 8415 82 90, 8415 83 10, 8415 83 90, 8415 90 00, 8418 10 90, 8418 21 00, 8418 29 00, 8418 30 90, 8418 69 20, 8418 69 30, 8419 11 10, 8419 19 10, 8419 81 10, 8419 81 20, 8419 81 90, 8419 90 10, 8421 21 20, 8422 11 00, 8422 90 20, 8423 10 00, 8423 90 10, 8433 11 90, 8433 19 90, 8450 11 00, 8450 12 00, 8450 19 00, 8450 90 10, 8451 21 00, 8451 30 10, 8452 10 11, 8452 10 12, 8452 10 19, 8452 10 21, 8452 10 22, 8452 10 29, 8452 30 10, 8452 90 10, 8469 00 20, 8469 00 90 और 8472 90 10, में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(62) अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8501 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8502 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8502 11 00 और 8502 20 10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8502 11 00 और 8502 20 10 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 8503 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 8504 में की सभी टैरिफ मदों (टौरिफ मद 8504 31 00, 8504 32 00, 8504 40 10 और 8504 40 30 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 8504 31 00, 8504 32 00, 8504 40 10 और 8504 40 30 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 8505 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 8506, 8507, 8508, 8509 और 8510 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 8511 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) शीर्ष 8512 (टैरिफ मद 8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 30 10, 8512 40 00 के सिवाय) में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 30 10, 8512 40 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) शीर्ष 8513 (टैरिफ मद 8513 10 10 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 8513 10 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) शीर्ष 8514 और 8515 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) शीर्ष 8516 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) शीर्ष 8518, 8519 (टैरिफ मद 8519 50 00 के सिवाय), 8521, 8522 और 8523 (टैरिफ मद 8523 52 10, 8523 52 20, 8523 52 90, 8523 59 10 और 8523 80 20 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) शीर्ष 8525 (टैरिफ मद 8525 50 50, 8525 60 11, 8525 60 12, 8525 60 13, 8525 60 19, 8525 60 91, 8525 60 92, 8525 60 99, 8525 80 10, 8525 80 20, 8525 80 30 और 8525 80 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 8525 50 50, 8525 80 10, 8525 80 20, 8525 80 30 और 8525 80 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) शीर्ष 8526 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) शीर्ष 8527 और 8528 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) शीर्ष 8529 (टैरिफ मद 8529 10 19, 8529 10 29, 8529 10 99 और 8529 90 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 8529 10 19, 8529 10 29, 8529 10 99 और 8529 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) शीर्ष 8530 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) शीर्ष 8531 (टैरिफ मद 8531 20 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) शीर्ष 8535 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) शीर्ष 8536 (टैरिफ मद 8536 10 10, 8536 41 00, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 10 और 8536 69 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 8536 10 10, 8536 41 00, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 10 और 8536 69 90 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) शीर्ष 8537 और 8538 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) शीर्ष 8539 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) शीर्ष 8540 (टैरिफ मद 8540 40 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 8542 39 00, में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) शीर्ष 8543 (टैरिफ मद 8543 10 10 और 8543 70 11 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) शीर्ष 8544 (टैरिफ मद 8544 70 10 और 8544 70 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) शीर्ष 8545, 8546 और 8547 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) शीर्ष 8548 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(63) अध्याय 86 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(64) अध्याय 87 में,—

(i) शीर्ष 8701 और 8702 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8704, 8705, 8706, 8707, 8708 और 8709 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8712, 8713, 8714, 8715 और 8716 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(65) अध्याय 88 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(66) अध्याय 89 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(67) अध्याय 90 में,—

(i) शीर्ष 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007 और 9008 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 9010 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9010 60 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 9010 60 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 9011 और 9012 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 9013 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9013 10 10, 9013 80 10 और 9013 90 10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 9013 10 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 9014 और 9015 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 9016 और 9017 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 9018 और 9019 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 9020 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) शीर्ष 9021 और 9022 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) शीर्ष 9023 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) शीर्ष 9024 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) शीर्ष 9025 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9025 11 10 और 9025 19 10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 9025 11 10 और 9025 19 10 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 9027 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 9027 90 10, 9027 90 20 और 9027 90 90 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) शीर्ष 9028 में की सभी टैरिफ मदों (उपशीर्ष 9028 30 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 9028 30 10 और 9028 30 90 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) शीर्ष 9029 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9029 10 10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 9029 10 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) शीर्ष 9030 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9030 40 00 और 9030 82 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) शीर्ष 9031 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9031 41 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) शीर्ष 9032 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 9033 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(68) अध्याय 91 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(69) अध्याय 92 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(70) अध्याय 93 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(71) अध्याय 94 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(72) अध्याय 95 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(73) अध्याय 96 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(74) अध्याय 97 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9704 00 10, 9704 00 20 और 9704 00 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(75) अध्याय 98 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9803 00 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 105(ii) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, शीर्ष सं0 11 और शीर्ष सं0 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

शीर्ष सं0	वस्तु का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
"11	लौह अयस्क और सभी प्रकार के सांद्र	300 रु0 प्रति टन
12	क्रोमियम अयस्क और सभी प्रकार के सांद्र	2000 रु0 प्रति टन ।"।

चौथी अनुसूची

(धारा 123 देखिए)

भाग 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(1) क्रम सं0 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0, शीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं0	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
"29क.	2523 29	सभी माल";

(2) क्रम सं0 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0, शीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"47क.	3808 93 40	पादप वृद्धि विनियामक";

(3) क्रम सं0 82 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, "8519" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) क्रम सं0 93 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, "8536, (8536 70 00 के सिवाय)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) क्रम सं0 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"97क.	9603 21 00	टूथ ब्रश";

(6) क्रम सं0 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(7) क्रम सं0 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

भाग 2

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(1) क्रम सं0 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0, उपशीर्ष या टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"71क.	8443 31 00 या 8443 32	प्रिंटर, चाहे प्रति तैयार करने और अनुकृति पारेषण के क्रियाकलाप से युक्त हों अथवा नहीं,
71ख.	8443 32 60 या 8443 39 70	अनुकृति मशीनें,
71ग.	8443 99 51	प्रिन्ट हैड असैम्बली के साथ इंक कारट्रिज";

(2) क्रम सं0 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0, उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"74क.	8471 30	सभी माल,
74ख.	8471 60	सभी माल";

(3) क्रम सं0 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"81क.	8517 62 30	मोड्म (मोड्यूलेटर्स-डीमोड्यूलेटर्स)
81ख.	8517 69 60	इन्टरनेट में पहुंच प्राप्त करने के लिए सैट टॉप बॉक्स";

(4) क्रम सं0 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0, शीर्ष या टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"92क.	8528	एकमात्र रूप से या मुख्यतः स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकार के मानीटर
92ख.	8528 71 00	टेलीविजन सैटों के लिए सैट टॉप बॉक्स"।

website : http//indiabudget.nic.in

पांचवीं अनुसूची

(धारा 124 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में,—

(i) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "133 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "441 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 20 30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "659 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 20 40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1,068 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2402 20 50 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1,424 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 2402 20 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1,748 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 2402 90 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1,058 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 25 में, उपशीर्ष 2523 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "600 रु0 प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 54 में,—

(i) टैरिफ मद 5407 10 15, 5407 10 25, 5407 10 35, 5407 10 45 और 5407 10 95 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 5407 20 और 5407 30 की सभी मदों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 5407 41 19, 5407 41 29, 5407 42 90, 5407 43 00, 5407 44 90, 5407 71 10, 5407 71 20, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 19, 5407 81 29, 5407 82 90, 5407 83 00, 5407 84 90, 5407 91 10, 5407 91 20, 5407 92 00, 5407 93 00 और 5407 94 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 56 में, टैरिफ मद 5607 50 10, 5608 11 10 और 5608 11 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 85 में, शीर्ष 8528 की सभी मदों के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 88 में,—

(i) टैरिफ मद 8802 11 00, 8802 12 00, 8802 20 00, 8802 30 00 और 8802 40 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8803 10 00, 8803 20 00, 8803 30 00 और 8803 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

website : http//indiabudget.nic.in

छठी अनुसूची

(धारा 133 देखिए)

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) शीर्ष 5211 की टैरिफ मद 5211 20 50 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "क्रेप फैब्रिक (जिसके अंतर्गत ट्वील फैब्रिक है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "क्रेप फैब्रिक (जिसके अंतर्गत क्रेप चेक भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(2) शीर्ष 5514 की टैरिफ मद 5514 30 12 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पालिएस्टर, स्टेपल फाइबर" शब्दों के स्थान पर, "पालिएस्टर स्टेपल फाइबर" शब्द रखे जाएंगे ।

website : http//indiabudget.nic.in

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
28 फरवरी, 2007

पी० चिदम्बरम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के
अधीन
राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 28 फरवरी, 2007 के पत्र सं० फा० 2(7)-बी०(डी०)/2007 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2007 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2007 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा ।

website : http//indiabudget.nic.in

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

[श्री पी० चिदम्बरम,
वित्त मंत्री]

वित्त विधेयक, 2007 (लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में) का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	24	व्यष्टि निकाय,	व्यष्टि निकाय की दशा में,
4	5 और 9	रकम,	रकम में,
8	20	उपधारा	उपखंड
9	1	विशेष एकक	विनिर्दिष्ट एकक
9	2	यथास्थिति, समादत्त पूंजी	समादत्त पूंजी
12	20	करार की गई	की गई
12	45	आय की विवरणी	निर्धारिती, आय की विवरणी
13	31	निम्नलिखित रखे जाएंगे,	निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे,
13	40	प्रतिभूति विनिमय	प्रतिभूति और विनिमय
14	9	उपधारा (2) में,-	उपधारा (2) के परंतुक में,-
17	36	परंतु कोई व्यष्टि या हिंन्दू अविभक्त कुटुंब,	परंतु
18	40	सदस्यों में से ज्येष्ठतम	सदस्यों में ज्येष्ठ
18	43	निम्नलिखित रखा जाएगा,	निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा,
18	50	धारा 245ग	धारा 245घ
20	11	अपनी रिपोर्ट	रिपोर्ट
20	29	1 जून, 2007	1 जून, 2008
20	32	1 जून, 2007 के	1 जून, 2007 को या उसके
22	18	"धारा 12कक"	"धारा 12कक के अधीन"
23	15	पर उद्गृहीत या	पर
24	47	ली गई हो,	आरंभ की गई हो,
24	51	सूचना, जो	सूचना जारी की जाती है किंतु वह
27	27	जिसमें वह तारीख, आवेदन	जिसमें आवेदन
27	30	परिसीमा	या अवधि
27	32	धन-कर प्राधिकारी	धन-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन करते समय कार्यवाही लंबित थी,
27	37	आय-कर प्राधिकारी	धन-कर प्राधिकारी
27	38	द्वारा की गई	द्वारा धारित
27	46	समय परिसीमा	समय या अवधि
28	29	धारा रखी जाएगी,	धारा, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, रखी जाएगी,
30	56	धारा 127ख या के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 के	धारा 127ख के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके
38	30	वाणिज्यिक अनुसंधान	वाणिज्यिक समुत्थान
40	24	128.	128. (1)
41	2	या नियमों	या उसके अधीन बनाए गए नियमों
41	पंक्ति 6, 7 और 8		(2) कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर प्रभार्य कर और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 95 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर के अतिरिक्त होगा ।
64	12	में स्तंभ (4)	में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4)
68	16 और 22	सभी मदों	सभी टैरिफ मदों
71	21 (स्तंभ 1)	2007-2008	2006-2007
80	21 (स्तंभ 1)	प्रतिभूति विनिमय	प्रतिभूति और विनिमय
81	43 (स्तंभ 1)	धारा 295 में	धारा 295 की उपधारा (2) में
84	4 (स्तंभ 1)	धारा में	धारा की
84	13 (स्तंभ 2)	भीतर कोई सूचना जारी नहीं की गई है या	भीतर
86	1 (स्तंभ 2)	खंड (i)	खंड (ii)
86	2 (स्तंभ 2)	खंड (ii)	खंड (iii)
86	4 (स्तंभ 2)	खंड (iii)	खंड (iv)
88	स्तंभ 1	अंत में जोड़ें -	"यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा ।"
88	2 (स्तंभ 2)	शास्ति के उद्ग्रहण से	शास्ति से
88	14 (स्तंभ 2)	उद्गृहीत या अधिरोपित	अधिरोपित
88	54 और 55 (स्तंभ 2)	होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा ।	होगा ।
90	19 (स्तंभ 2)	उक्त धारा में	धारा 22घ की
93	23 (स्तंभ 1)	खंड (i)	खंड (ii)
93	24 (स्तंभ 1)	खंड (ii)	खंड (iii)
93	26 (स्तंभ 1)	खंड (iii)	खंड (iv)
93	54-55 (स्तंभ 2)	होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा ।	होगा ।